



बिहार सरकार



## जिला आपदा प्रबंधन योजना—किशनगंज

### (District Disaster Management Plan- Kishanganj)

(खण्ड-1)



जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किशनगंज



बिहार सरकार

# जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किशनगंज



## सन्देश

जिला आपदा प्रबन्धन योजना को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किशनगंज जिले को आपदा से सुरक्षित रखना। यह योजना जिला को आपदा पूर्व तैयारी, रोकथाम, शमन, प्रत्युत्तर, अर्ली रिकवरी एवं पुनर्वास से सम्बन्धित गतिविधियों में मजबूती प्रदान करेगा।

जिला किशनगंज में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं का प्रभाव निरन्तर बना रहता है। इस योजना में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के उत्पन्न होने की दशा में बचाव के सुव्यवस्थित उपायों का उल्लेख किया गया है। योजना में आपदा पूर्व रोकथाम एवं शमन के उपायों को आपदाओं के पूर्व के अनुभवों के आधार पर संज्ञान में लिया गया है। इसमें जो भी विवरण व तथ्य दर्ज किए गए हैं, उन सभी का संग्रह विभिन्न स्रोतों से किया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना विकसित करते हुए यह ध्यान रखा गया है, कि जिला प्रशासन को इसके माध्यम से आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने में आसानी हो और त्वरित गति से प्रत्युत्तर कार्रवाई क्रियान्वित करते हुए आपदा प्रभावित लोगों का जान-माल बचा सके। जिला आपदा प्रबन्धन योजना (District Disaster Management Plan) में जिले का खतरा, जोखिम, सवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण, आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness), रोकथाम (Prevention) शमन (Mitigation), प्रत्युत्तर (Response) एवं पुनर्वास (Rehabilitation) की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।

योजना में जिला स्तरीय विभागों की योजनाएं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, बिहार डी.आर.आर. रोड मैप 2015–2030, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009, सतत् विकास लक्ष्य 2015–2030 आदि के प्रमुख बिन्दुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

(श्रीकान्त शास्त्री, भा.प्र.से.)  
जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष  
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,  
किशनगंज

## सन्देश

जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना है। इस योजना में समुदाय की सहभागिता से आपदा प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तरीय विभागों तथा अन्य हितभागियों द्वारा कार्रवाईयाँ/गतिविधियाँ बनायी गई हैं। जिला आपदा प्रबन्धन योजना जिला को आपदा प्रबन्धन में मजबूती प्रदान करेगा।

आशा है, कि यह योजना जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आपदा से निपटने तथा उससे होने वाले क्षति को कम करने एवं विभिन्न विभागों के कार्यों तथा गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों के समावेशन में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। भविष्य में आपदा प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में उसके बेहतर प्रभाव व उपयोग के दृष्टिगत समस्त हितभागियों के तरफ से दिये जाने वाले सुझावों का स्वागत किया जायेगा तथा योजना में समाहित किया जायेगा।

(अनुज कुमार, बि.प्र.से.)  
अपर समाहर्ता,  
(आपदा प्रबन्धन) किशनगंज

## विषय—सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	<b>कार्यकारी सारांश (Executive Summary)</b>	4–6
1	<p><b>परिचय (Introduction)</b></p> <p>1.1 उद्देश्य 1.2 योजना का कार्यक्षेत्र 1.3 योजना निर्माण पद्धति 1.4 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व 1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण</p>	8–10
2	<p><b>जिले का परिचय District Profile</b></p> <p>2.1 भौगोलिक विवरण 2.2 जलवायु तथा मौसम 2.3 सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परिचय 2.4 जनसंख्या 2.5 प्रशासनिक ढाँचा 2.6 जिले का आर्थिक संसाधन</p>	11–22
3	<p><b>खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis)</b></p> <p>3.1 जिला में संभावित खतरों का विश्लेषण 3.2 संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण 3.3 क्षमता विश्लेषण</p>	23–40
4	<p><b>संस्थागत ढाँचा (Institutional Arrangement)</b></p> <p>4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4.2 पंचायतें 4.3 समुदाय आधारित संगठन 4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 4.5 समन्वय तंत्र</p>	41–48
5	<p><b>आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय (Prevention, Mitigation and Preparedness Measures)</b></p> <p>5.1 विभाग / एजेंसी का विशिष्ट कार्य 5.2 सभी विभाग / एजेंसी के लिए कार्य</p>	49–68

	5.3 विभागों / एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य	
6	<b>क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण</b> <b>(Capacity Building and Training)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण</li> <li>6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित</li> <li>6.3 पेशेवर विशेषज्ञ</li> <li>6.4 प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सुविधा</li> <li>6.5 जागरूकता</li> </ul>	69–73
7	<b>प्रत्युत्तर योजना</b> <b>(Response Planning)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया</li> <li>7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य</li> <li>7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक</li> <li>7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र</li> </ul>	74–89
8	<b>पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति</b> <b>(Reconstruction, Rehabilitation and Recovery)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 क्षति आकलन</li> <li>8.2 पीड़ितों को राहत</li> <li>8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन</li> <li>8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण</li> </ul>	90–93
9	<b>बजट एवं वित्तीय संसाधन</b> <b>(Budget and Financial Resources)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ / कार्यक्रम</li> <li>9.2 केन्द्रीय / राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम</li> <li>9.3 अन्य स्रोत</li> </ul>	94–97
10	<b>अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण</b> <b>(Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन</li> </ul>	98–99

## आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

### परिभाषाएँ :

**धारा—2 (घ)** “आपदा” से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् (भारी) हानि या मानवीय पीड़ाएँ या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण (व्यापक) का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

**धारा—2 (ड.)** “आपदा प्रबंधन” से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक है :—

- i. किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण,
- ii. किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या उनमें कोई कमी,
- iii. क्षमता निर्माण,
- iv. किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ,
- v. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव
- vi. किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण,
- vii. निष्क्रमण, बचाव और राहत,
- viii. पुनर्वास और पुनर्निर्माण,

**आपदा (Disaster)** : कोई भी समुदाय या समाज की संवेदनशीलता तथा आपदा से मुकाबला करने की क्षमता किसी खतरे के सम्मुख अनावृत (Exposure) होने की स्थिति में इनके बीच अंतक्रिया के फलस्वरूप मानव जीवन या संपत्ति अथवा आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति या संघात (Injury) होने से सामान्य क्रिया कलापों पर गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो जाय उसे आपदा कहते हैं।

**खतरा (Hazard)** : कोई ऐसी दुर्घटनायें, प्रक्रियायें या मानवीय गतिविधियाँ जो मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य के लिए संघातिक हो अथवा जिनसे संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान हो एवं दैनिकी समाजिक-आर्थिक क्रिया कलापों में अकस्मात् व्यवधान उत्पन्न हो जाय तो इसे खतरा (Hazard) कहा जायेगा। खतरे के प्रकार :—

- जैविक
- पर्यावरणीय
- भू-गर्भीय या भू-भौतिकी
- जलवायु संबंधी
- तकनीकी

**आपदा जोखिम (Disaster Risk)**: किसी व्यवस्था, समाज अथवा समुदाय एवं स्थानिक पर्यावरण की संवेदनशीलता, आपदा से मुकाबला करने की क्षमता तथा प्रभावकता के बावजूद होने वाली मृत्यु, शारीरिक संघात, अथवा संपत्ति विनाश/क्षति की संभावना को आपदा जोखिम कहा जायेगा।

**स्वीकार्य जोखिम (Acceptable Risk)** : तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों में जिस सीमा तक जोखिम को नजर अंदाज किया जा सकता है उसे ही स्वीकार्य जोखिम (Acceptable Risk) कहेंगे।

**अवशेष जोखिम (Residual Risk)** : जोखिम न्यूनीकरण के लिए यथा संभव जरूरी उपाय करने के बावजूद यदि आपदा जोखिम अवशेष रहे, जिसके लिए आकस्मिक आपदा मोर्चन अथवा पुर्नप्राप्ति की क्षमता अनिवार्य रूप से हासिल कर ली गई हो तो ऐसे जोखिम को अवशेष जोखिम कहा जायेगा।

**आपदा जोखिम शासन (Disaster Risk Governance)** : जिन संस्थानों, प्रक्रियाओं, नीतियों, नियम-कानून तथा अन्य व्यवस्थाओं के बीच एक प्रभावी सामंजस्य के साथ आपदा जोखिम का सफलता पूर्वक निषेधीकरण अथवा न्यूनीकरण को तत्पर व्यवस्था को आपदा जोखिम शासन कहेंगे।

**आपदा जोखिम सूचना (Disaster Risk Information)** : आपदा जोखिम के सभी आयामों सहित किसी खतरे के दायरे में अवस्थित संवेदनशील समूह संपत्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति, समूह, संस्थान या राज्य एवं उनकी परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारियों को आपदा जोखिम सूचना कहा जायेगा।

**आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management)** : नये आपदा जोखिम का निषेधीकरण, वर्तमान जोखिम का न्यूनीकरण तथा अवशेष आपदा जोखिम का प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों तथा रणनीतियों का प्रयोग करते हुये आपदा क्षति में कमी लाना तथा आपदा से मुकाबला करने की शक्ति में अभिवृद्धि करना ही आपदा जोखिम प्रबंधन है।

**संवेदनशीलता (Vulnerability)** : किसी व्यक्ति समुदाय संपत्ति या व्यवस्था को परिस्थिति विशेष में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय कारणों अथवा प्रक्रियाओं के चलते उत्पन्न खतरों की विभिन्निक से मुकाबला करने को विवश होना पड़े तो इसे संवेदनशीलता कहते हैं।

**क्षमता (Capacity)** : किसी संस्था, समुदाय या समाज के पास उपलब्ध संसाधन, शक्ति तथा अन्य विशेषताओं (Attributes) जिसका उपयोग कर आपदा जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। उसे क्षमता कहते हैं।

**आपदा से मुकबला करना (Coping Capacity)** : किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था के द्वारा उनके पास उपलब्ध कौशल एवं संसाधन का उपयोग करते हुये विपरीत परिस्थितियों में आपदा जोखिम से मुकबला करने की क्षमता आयाम लेती है।

## कार्यकारी सारांश

### (Executive Summary)

जिला योजना आपदा प्रबन्धन योजना, आपदा अधिनियम 2005 को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। आपदा प्रबन्धन योजना के भाग 1 (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) एवं भाग 2 में तैयार किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य है, “जीवन एवं आजीविका के जोखिम का न्यूनीकरण करते हुए स्थायी विकास को प्रोत्साहित करना”।

उपरोक्त योजनाओं में सेन्डई फ्रेमवर्क फार एक्शन (सन् 2015–2030) को दृष्टिगत रखते हुए चार प्राथमिकताओं को विशेष रूप से शामिल किया गया है: जैसे— जिला में अवस्थित आपदा खतरे को समझना, आपदा जाखिम गवर्नेंस का सुदृढ़ीकरण ताकि आपदा के जाखिम को कम किया जा सके, स्थायी विकास के लिए आपदा जाखिम न्यूनीकरण में निवेश एवं प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर और बिल्ड बैक बेटर अर्थात् बेहतर पुनर्निर्माण के लिए आपदा पूर्व तैयारी को बढ़ावा देना।

लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्षेत्रवार, मौसमवार एवं प्रकोपवार जोखिम की पहचान कर न्यूनीकरण हेतु विभागवार सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित किया गया। इन क्रियाकलापों को 5 (पांच) अवयवों में विभक्त किया गया है, यथा— सुरक्षित ग्राम (रेजिलिएन्ट विलेज), सुरक्षित शहर (रेजिलिएन्ट सिटी), सुरक्षित आजीविका (रेजिलिएन्ट लाइवलीहुड), सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ (रेजिलिएन्ट बैसिक सर्विसेज) एवं सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ (रेजिलिएन्ट क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर)।

आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक ढाँचा, कर्मियों की व्यवस्था एवं विशेष रूप से जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की भूमिका एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है।

जिला में प्रकोप, संवेदनशीलता, जोखिम एवं क्षमता की पहचान कर आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए 3 जोन में विभाजित किया गो है, जिसमें प्रथम हाई डमेज रिस्क जोन, मिडियम डमेज रिस्क जोन एवं लो डमेज रिस्क जोन में विभाजित किया गया है। आपदा जाखिम न्यूनीकरण हेतु विभाग वार संसाधनों की पहचान सुनिश्चित किया गया है।

**विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलाप:**— आपदा प्रबन्धन योजना में विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले क्रियाकलापों की विवरणी अंकित है। क्रियाकलापों के निर्धारण में ध्यान रखा गया है कि विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्रियाकलापों को सम्पादित करें।

**अनुवश्रवण की व्यवस्था**—आपदा प्रबन्धन के क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की भी व्यवस्था रखी गयी है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में आहूत जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की छमाही बैठक में निर्धारित किये गये कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अनुश्रवण किया जाएगा।

## योजना की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण

जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष में दो बार (माह जून एवं नवम्बर) सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारीयों की समीक्षा की जायेगी।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम के नियम 31 के उपनियम 24 के अनुसार “**जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा**”

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अद्यतन हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागस्तरीय आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व निर्मित योजनाओं का अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उस योजना की एक प्रति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निर्धारित समयानुसार हस्तगत करना होगा।

पूर्व तैयार योजना का अद्यतनीकरण करते समय निर्माण करने वाले समस्त हितभागियों तथा अधिकारियों को निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक होगा –

**समग्रता आधारित**—जिले के सभी आपदाओं तथा उससे होने वाले संभावित प्रभावों, जोखिम को शामिल करना तथा विभिन्न विभागों द्वारा आपदाओं के सभी फेजों एवं चरणों को ध्यान में रखते हुए योजना का पुनरावलोकन एवं अद्यतनीकरण करना होगा।

**एकीकृत**— पूर्व तैयारी, राहत एवं बचाव, प्रत्युत्तर एवं न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी आपदाओं से बचाव की योजना में समुदाय, सरकार एवं अन्य हितभागियों की उपयोगिताओं को सुनिश्चित करना होगा।

**सहभागी**—योजना का आपदा प्रभावित समुदाय, पंचायत, जिला प्रशासन, सरकार एवं विशेषज्ञ संगठन की सहभागिता सुनिश्चित कराते हुए पुनरावलोकन एवं अद्यतनीकरण करना होगा।

**सहयोगी**— सभी हितधारकों द्वारा किये गये कार्यों की उपयोगिता, सीख एवं सार्वजनिक नेतृत्व को महत्व देते हुए उसे एक—दूसरे के साथ साझा करना। व्यक्ति तथा एजेंसियों के बीच प्रभावी सम्बंध बनाने हेतु साझा मंच विकसित करना।

**सामाजिक समावेश**—एक आपदा, प्रभावित क्षेत्र के विकास को दशकों पीछे छोड़ देती है। यदि प्रभावित समुदाय ने विकास में पर्याप्त जोखिम में कमी के उपायों को शामिल किया होता, तो प्रभाव को कम किया जा सकता है। एकीकृत तरीके से विकास और डीआरआर वाले ट्रृट्टिकोण को डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। इसका मतलब यह भी है कि डीआरआर मेनस्ट्रीमिंग का मौलिक रूप से विस्तार करें ताकि यह एक सामान्य अभ्यास बन जाए, जो आपदा प्रत्युत्तर के लिए तैयारियों के अलावा प्रत्येक एजेंसी की नियमित योजना और कार्यक्रमों में पूरी तरह से संरक्षित हो जाये। सामाजिक स्थितियों के आधार पर खतरों में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आपदाओं के लिए मानव प्रत्युत्तर अक्सर भेदभाव करते हैं। मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का मतलब है कि आपदाएं समान रूप से समान समुदायों के लिए अलग-अलग परिणाम पैदा कर सकती हैं, जहां सबसे कमजोर समूह भी दूसरों

की तुलना में कई मामलों में असमान रूप से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009 की प्रस्तावना में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों में आपदाओं के दौरान सबसे अधिक नुकसान होता है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 विशेष रूप से भेदभाव के सभी रूपों को मना करता है। सामाजिक समावेश अधिकारों और अवसरों की समानता, व्यक्ति की गरिमा, विविधता को स्वीकार करने और सभी के लिए लचीलापन बनाने में योगदान देता है, जो किसी समुदाय के सदस्यों को उम्र, लिंग, दिव्यांगता अन्य के आधार पर नहीं छोड़ता है।

**डीआरआर मेनस्ट्रीमिंग या मुख्यधारा डीआरआर:** आपदा की संभावनाओं को पहचाने और पर्याप्त जोखिम में कमी को शामिल किए बिना विकास, वास्तव में, मौजूदा जोखिमों को विकराल बना सकता है और इसके साथ नए जोखिमों के शुरू होने की संभावनायें बढ़ जाती हैं, इससे संभावित आपदाओं का नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। मुख्यधारा डीआरआर एक दृष्टिकोण है जिसमें विकास और डीआरआर दोनों को विकास के सभी पहलुओं – नीतियों, योजना और कार्यान्वयन में एक सहज तरीके से समर्वर्ती रूप से शामिल किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी जोखिम के रूप में कार्य करता है, हर हाइड्रो-क्लाइमेटिक संबंधी खतरे से जुड़ी अनिश्चितताओं को बिगड़ता है, जिससे जोखिम परिवृश्य बदलता है। एसडीजी के तहत कार्वाई और जलवायु परिवर्तन की प्रत्युत्तर एवं विकास की पहल के अभिन्न अंग हैं और इन सभी में आपदा लचीलापन का निर्माण आम विषय है।

**जेंडर (Gender):-** समाज में सामान्य स्तर पर सामुदायिक और घर के भीतर उनकी बदलती भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। आपदा के बाद के प्रभाव का महिलाओं, पुरुषों, लड़कों और लड़कियों द्वारा अलग-अलग तरह से अनुभव किया गया है।

**लचीलापन (Resilience):-**आपदा जाखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु रचनात्मक एवं नवीन तरीका अपनाना। योजना में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, नैतिक आचरण, जवाबदेही और निरंतर सुधार आदि पर आधारित ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देना

**विकासात्मक:-** आपदाओं से प्रभावित समुदाय के क्षमता निर्माण हेतु भावी आपदाओं का अनुमान करना तथा उसके निवारण हेतु पूर्व तैयारी के लिए क्षमता निर्माण की योजना को महत्व देना।

## अध्याय : 1—परिचय

### (Introduction)

जिला आपदा प्रबंधन योजना सरकार, समुदाय, निजीगत क्षेत्रों तथा स्वयं सेवी संगठनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण किशनगंज जिला हेतु निर्मित किया गया है। यह योजना जिला में निवास करने वालों समुदायों, सरकारी विभागों, स्वयं सेवी संगठनों, निजीगत क्षेत्रों एवं समुदाय आधारित संगठनों आदि सभी के लिए है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण, अद्यतनीकरण तथा कार्यान्वयन तथा इसमें नियमित सुधार का अधिकार और जवाबदेही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किशनगंज को है। इस योजना के निर्माण में जिले में स्थित सभी हितभागी समूहों ने सहभाग किया है। वर्णित हितभागी समूहों की भूमिकाओं एवं जवाबदेहियों के विषय में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को ध्यान में रखते हुए योजना के दोनों खण्डों (आपदा शमन एवं प्रत्युत्तर योजना) में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

#### **1.1— उद्देश्यः— जिला आपदा प्रबंधन योजना निर्माण हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं—**

1. आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए जिले के सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक स्थितियों पर समझ विकसित करना।
2. जिला के प्रकोप, जोखिम, संवेदनशीलता का विश्लेषण करते हुए प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खतरों हेतु संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना।
3. जिले के चिन्हित जोखिमों के शमन के लिए जिला स्तरीय विभिन्न हितभागियों को शमन के उपाय सुझाना।
4. समुदाय स्तर/स्थानीय निकाय स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी को महत्व देना।
5. संस्थागत तंत्र के अन्तर्गत प्रशासन, सरकारी विभाग एवं अन्य हितभागियों को सुगमकर्ता की भूमिका हेतु तैयार करना।
6. जोखिम में कमी लाने हेतु जिला स्तर के विभिन्न हितभागियों की कार्य योजना विकसित करना।
7. आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण में जिला स्तरीय हितभागियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित कराकर उन्हें योजना के प्रति जागरूक करना।
8. समस्त हितभागियों द्वारा समय से योजना का अद्यतनीकरण करने हेतु प्रक्रिया निर्माण करना।
9. जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित समावेशी अभ्यास तथा इसे विकास सम्बन्धी नवाचारों के साथ समाहित करने के लिए समेकित एवं समन्वित योजना बनाना।
10. पुर्वांस में पहले से बेहतर (बिल्ड बैक बेटर) की अवधारणा को समझना।

#### **1.2 योजना का कार्यक्षेत्र**


आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में सम्पूर्ण किशनगंज जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलो मीटर है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 1690948 है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, पंचायती राज्य संस्थायें यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा शहरी निकाय आते हैं। इस जिले के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में कई अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा कई स्थानीय स्वयं सेवी संस्थायें कार्य कर रही हैं।

योजना बनाने के क्रम में जिन बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, वो निम्नांकित है :—


1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय यहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते हैं, से संपर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरों का चिह्निकरण, पुनर्प्राप्ति (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।
2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों मेले बड़े-बड़े सभा स्थल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा/बचाव को शामिल किया गया है।
4. लिंग भेदभाव के मुद्दे आपदा प्रबंधन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इनकी संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं या इनके गोद में बच्चे होते हैं। अतः योजना बनाने के क्रम में लिंगीय मुद्दे भी शामिल हैं।
5. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सूखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है।
6. वज्रपात/आकाशीय विद्युत कुछ वर्षों में अकस्मात दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है। इसके सम्बन्ध में ठोस समुदाय स्तरीय कार्यवाही हेतु जिले के 5 प्रतिशत पंचायत के ग्रामीणों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गयी।
7. इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं यंत्र-संयंत्र के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
8. आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरों पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए हैं।

### 1.3 योजना निर्माण पद्धति

योजना तैयार करने के तथा क्रियान्वयन के लिए विभिन्न रणनीतियाँ तैयार की गयी हैं, जिसका विवरण निम्न है—



## जिला बहु—आपदा प्रबंधन योजना निर्माण हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ अपनाई गयी है :—



## 1.4 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व

जिला आपदा प्रबंधन योजना में जिले के प्रकोप, जोखिम एवं संवेदनशीलता को वर्णित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) जिला स्तरीय विभागों को आपदा प्रबंधन साइकिल में वर्णित समस्त चरणों में कार्रवाई हेतु एक दिशा निर्देश एवं फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। समय—समय पर आपदा प्रबंधन में उभरते वैशिक सर्वोत्तम अभ्यासों एवं स्थानीय एवं वैशिक ज्ञान के आधार पर जिला को आपदामुक्त/आपदा का सामना करने में सक्षम (Resilience) बनाने में डी०डी०एम०पी० एक “प्रगतिशील दस्तावेज” होगा। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा आपदा प्रबंधन नीति 2009 के दिशा—निर्देश एवं स्थानीय अभ्यासों के अनुसार तैयार किया गया है।

आपदाओं के बदलते स्वरूप में उसका प्रबंधन न केवल वैशिक स्तर पर वरन् स्थानीय स्तर पर भी अब एक अनिवार्य विषय हो गया है। बिहार राज्य के सन्दर्भ में बात करें तो वर्ष 2005 के पूर्व तक बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं किया जाता था, लेकिन 2005 के बाद भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किये जाने तथा आपदाओं की बढ़ती तीव्रता व बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य हो गया कि न सिर्फ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ही आपदा प्रबंधन योजना तैयार करे एवं बल्कि प्रत्येक विभाग को भी अपना आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना अनिवार्य है। अब आपदा प्रबंधन का विषय केवल राहत पहुंचाने तक ही सीमित नहीं रह गया है, अपितु सभी स्तरों पर क्षमता विकसित करने तथा जोखिम न्यूनीकरण करने सम्बन्धी विषयों को भी इसमें प्रमुखता से शामिल किया जाने लगा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आपदा प्रबंधन को विकास कार्यक्रमों से अलग न देखते हुए इसे एक समेकित बहु आयामी गतिविधि के रूप में कार्यान्वित किया जाये।

यह योजना न्यूनीकरण की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है तथा उसके आधार पर किसी भी आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु सभी जिम्मेदार हितभागियों को स्पष्टता प्रदान करेगा कि कौन सा विभाग/हितभागी किस प्रकार के आपदाओं को प्रबंधन हेतु जवाबदेह है। डी०डी०एम०पी० में यह परिकल्पना किया गया है, कि जिले में किसी भी प्रकार की अगर आपदा होती है तो उसकी कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन तत्पर है। डी०डी०एम०पी० को इस तरीके से बनाया गया है, कि आपदा के किसी भी चरण में आसानी पूर्वक विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा सके।

डी०डी०एम०पी० को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जायेगी। डी०डी०एम०पी० के अद्यतनीकरण हेतु आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागस्तरीय आपदा प्रबंधन हेतु पूर्व निर्मित योजनाओं का अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उस योजना की एक प्रति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा डी०डी०ए० को निर्धारित समयानुसार हस्तगत करना होगा।

## **1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण**


जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। इसे प्रत्येक वर्ष संबंधित हितधारक विभागों द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करते हुये इसका एक-एक प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं विभाग को उपलब्ध कराई जानी है।

आपदा कैलेन्डर के दृष्टिगत प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठक में आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा न्यूनीकरण की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी हितभागी अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किये गये कार्यों के प्रभाव की भी समीक्षा की जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला आपदा प्रबंधन योजना को पुनर्मुख्यांकन कर इसे पुनर्रीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4) द्रष्टव्य)

## अध्याय : 2 जिले का परिचय (District Profile)

### 2.1 भौगोलिक विशेषताएँ

किशनगंज जिला  $25^{\circ}20'$  से  $26^{\circ}30'$  उत्तरी अक्षांश  $87^{\circ}7'$  से  $88^{\circ}19'$  पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 259 फीट (79 मीटर) है। किशनगंज के पश्चिम में अररिया, दक्षिण पश्चिम में पूर्णिया, पूर्व में पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर व और उत्तर में नेपाल से लगा हुआ है। बंगाल, नेपाल और बंगलोदश की सीमा से नजदीक किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का अनुमण्डल था। बिहार सरकार ने 14 जनवरी 1990 को इसे पूर्ण रूप से जिला घोषित कर दिया गया। जिले का क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलोमीटर है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय किशनगंज नगरपालिका में है। उत्तर पूर्वी बिहार का यह जिला बिहार के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में भी शामिल है। जिले का जनसंख्या घनत्व 897 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है।



जिले का राजनीतिक/प्रशासनिक संरचना: जिला में 1 अनुमण्डल (किशनगंज) हैं, जिसके अन्तर्गत 7 प्रखण्ड अवस्थित हैं, जिले में कुल 126 ग्राम पंचायत तथा 802 राजस्व गांव हैं।

**तालिका1 :- जिले का राजनीतिक/प्रशासनिक संरचना**

क्रम सं0	संरचना का विवरण	संख्या	विस्तृत			
1	प्रखण्ड की संख्या  प्रखण्ड वार ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं राजस्व गांव विवरण	07	प्रखण्ड	जनसंख्या	ग्राम पंचायत	राजस्व गांव
			बहादुरगंज	253582	20	121
			बहादुरगंज नगर पंचायत	36993		
			दिघलबैंक	208356	16	81
			किशनगंज	241134	10	87
			किशनगंज शहर	105782		
			कोचाधामन	292124	24	152
			पोठिया	262494	22	149
			टेढ़ागाछ	141039	12	81
			ठाकुरगंज	291671	22	131
			ठाकुरगंज नगर पंचायत	18348		
<b>कुल योग</b>		07			126	802
2	नगर पंचायत	02	बहादुरगंज नगर पंचायत एवं ठाकुरगंज नगर पंचायत			
3	नगर परिषद	01	किशनगंज			
4	विधान सभा	04	किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज एवं कोचाधामन			
5	लोक सभा	01	किशनगंज			

## 2.2 जिले का प्राकृतिक संसाधन

### नदियाँ—

जिले के माध्यम से बहने वाली प्रमुख नदियाँ महानंदा, कंकई, मेची, डोनक, रतुआ एवं रमजान सुधानी हैं।

### जलवायु

इस जिले की जलवायु अधिक आद्रता वाली होती है। यहाँ पर सर्दी की शुरुआत माह अक्टूबर के अन्तिम से शुरू होता है और फरवरी तक चलता रहता है। सबसे अधिक सर्दी जनवरी माह में पड़ती है। मानसून 15 जून तक जिले में प्रवेश कर जाता है। जिले में गर्म तापमान मई एवं जून के माह में सर्वाधिक रहता है।

### वर्षापाता—

जिले की सामान्य वर्षा का औसत 2250.00 मीमी रिकार्ड की गयी है। यहाँ पर अधिकतम वर्षापाता जून से सितम्बर के मध्य होता है जो पूरे वर्ष के बरसात का 80 प्रतिशत मानी गयी है।

## वन क्षेत्र—

जिला सांख्यिकीय विभाग, किशनगंज के प्रतिवेदन के अनुसार वन क्षेत्र के अंतर्गत 686.20 एकड़ आच्छादित है।

## मिट्टी और फसलें —

किशनगंज जिले का अधिकतम भाग गैर चुना, गैर खारा मिट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतम कछारी भूमि पाई जाती है। स्थानीय मिट्टियों के वर्गीकरण के अनुसार जिले में विभिन्न मिट्टियाँ पाई जाती हैं—

1. करारी और मटियार
2. दोमट मिट्टी
3. बलुवी मिट्टी

किशनगंज जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिले में तीन कृषि के मौसम होते हैं— रबी, खरीफ और जायद है। रबी का मौसम माह अक्टूबर व नवम्बर से शुरू होता है तथा फसल मार्च व अप्रैल में काटी जाती है। रबी की प्रमुख फसलें हैं:— गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसो, अलसी एवं आलू आदि। खरीफ का मौसम जुलाई में शुरू होता है और फसल अक्टूबर व नवम्बर में काटी जाती है। खरीफ की प्रमुख फसलें:— बाजरा, मक्का, अरहर, चावल, गन्ना तथा अनन्नास प्रमुख फसलें हैं। जायद वह फसलें होती हैं जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती हैं। यह अप्रैल से जुलाई के बीच बोयी जाती हैं। यह फसलें जाड़ा, बारिश और गर्मी के मौसम के मुताबिक होती हैं। जिला में अदरक, हल्दी, लहसुन, अनन्नास और चायपत्ती अन्य प्रमुख नकदी फसलें हैं जो बड़े मात्रा में पैदा की जाती हैं। जूट एवं धान यहाँ की प्रमुख फसल मानी जाती है।

## 2.3 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

प्राचीन काल में इस जिले का नाम कृष्णगंज था, जो बाद में किशनगंज हो गया। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश-द्वार कहा जाने वाला किशनगंज अपने द्वापरकालीन गौरवशाली इतिहास के लिए भी जगत प्रसिद्ध है। राजा विराट के नाम का शहर विराटनगर किशनगंज—नेपाल सीमा के निकट ही स्थित है। ऐसा माना जाता है कि किशनगंज पहले राजा विराट के शासनाधीन था। महाभारत में वर्णित पांडवों के अज्ञातावास की कुछ घटनाओं की पुष्टि किशनगंज में होती है।

इस जिले में ज्यादातर गांव दूरदराज क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। कुछ गांवों में सघन आबादी है जबकि अन्य में विरल आबादी है। इनमें अन्य पिछड़ी जातियाँ— सुरजापुरी, हिंदू मुस्लिम व आदिवासी आते हैं। इनके बीच में कुछ संथाल क्षेत्र हैं। इन गांवों के लोग अपेक्षाकृत शांति व सह अस्तित्व के साथ गुजर बसर करते हैं। यहाँ जाति और सम्प्रदाय के नाम पर झगड़ों या तनाव की बहुत कम घटनायें होती हैं। यह इलाका बेहद शांत है। इस जिले में ज्यादातर परिवार बेहद गरीब हैं और अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश के लिए सड़क एवं रेलमार्ग का किशनगंज से होकर गुजरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, यही बजह है, कि व्यावसायिक दृष्टि से किशनगंज का महत्व काफी बढ़ जाता है। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे होने के कारण शहर की सुरक्षा का जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (BSF) व सशस्त्र सीमा बल (SSB) उठाए हुए है। जिला के नगर क्षेत्र में ऊँची—ऊँची इमारतें, केन्द्रीय विद्यालय एवं अनेक विकसित उपकरण अनायास ही शहरीय जीवन का एहसास कराते हैं। मुगल काल में इस क्षेत्र पर नवाब फकीरुद्दीन का प्रभुत्व था। नवाबी परंपरा की आखिरी कड़ी नवाब जैनुद्दीन हुसैन मिर्जा थे।

सबसे बड़ा मेला खगड़ा मेला किशनगंज में ही लगता है। एक जमाने में यहाँ छोटी—छोटी वस्तुओं से लेकर कटीर उद्योग द्वारा निर्मित सामानों तथा हाथी—घोड़े आदि तक की खरीद—बिक्री होती थी।

इसीलिए बड़े-बुजुर्ग आज भी इसे खगड़ा किशनगंज के नाम से जानते हैं। हालांकि आधुनिक बाजार-व्यवस्था एवं मॉल-संस्कृति की चकाचौंध से इस मेले की उपयोगिता में कुछ कमी आई है। लेकिन यह मेला आज भी पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और नेपाल के व्यवसायियों एवं लोक-कलाकारों का संगम स्थल बना हुआ है।

किशनगंज जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर कोचाधामन प्रखण्ड के अंतर्गत बड़ीजान गांव में सूर्य भगवान की विशाल मूर्ति हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति की मिसाल है। कहा जाता है कि यह देश का अकेला ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूर्यदेव के नाम पर ना सिर्फ सुरजापुर परगना की स्थापना हुई, बल्कि सुरजापुरी भाषा भी विकसित हुई। आज भी यहाँ के मूल निवासियों की मातृ भाषा सुरजापुरी ही है। विश्व में सिक्ख अल्पसंख्यक समुदाय का एकमात्र मेडिकल कॉलेज किशनगंज में ही है।

शहीद असफ़ाक उल्लाह खान स्टेडियम (खगड़ा) में रेलवे स्टेशन से 2 किमी की दूरी पर है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल जैसे क्रिकेट, फुटबाल, बालीबाल, कबड्डी का राज्य स्तरीय टूर्नामेन्ट का आयोजन किया जाता है। इसके नजदीक ही एक इन्डोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है जहाँ पर स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया का कार्यालय है।

चुर्ली स्टेट एक रियासत थी, इसके कुंदन लाल सिंह जर्मींदार हुआ करते थे। उनकी जर्मींदारी बंगाल से लेकर नेपाल तक फैली हुई थी। उनके हवेली को देखने दूर-दूर से लोग आया करते थे। लेकिन आज यह हवेली खण्डहर में तब्दील हो चुकी है। आज भी पर्यटक इस खण्डहर को देखने यहाँ आते हैं।

हरगौरी मंदिर ठाकुरगंज प्रखण्ड में स्थित है। इस मंदिर को 100 साल पुराना माना जाता है। इसका निर्माण टैगोर रियासत के जर्मींदार द्वारा किया गया था। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि यहाँ के जर्मींदार को एक ही पत्थर पर शिव और पार्वती की निर्मित मूर्ति मिली थी। कचुदाह झील किशनगंज से 40 किमी की दूरी पर स्थित है। इस प्राकृतिक झील पर हजारों की संख्या में अप्रवासी पक्षी प्रति वर्ष प्रवास करने आते हैं। नववर्ष के मौके पर स्थानीय पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ रहती है।

किशनगंज से खगड़ा रोड पर कदम रसूल का मकबरा स्थित है, जिसे कहा जाता है कि ये 300 वर्ष पुराना है। सभी धर्मों के लोग मूलतः हिन्दू और मुस्लिम अपनी लम्बी उम्र की दुआ के लिए 3 दिन अप्रैल और मई माह के मध्य वैसाखी में यहाँ आते हैं और उस दौरान यहाँ पर उर्स पढ़ा जाता है। लोगों में मान्यता है, कि यहाँ चादर चढ़ाने से जीवन में शांति मिलती है।

## 2.4 जिले का जनसंख्यात्मक विवरण

जिला किशनगंज की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 1690948 है, यहाँ कुल परिवार 338445 है। जिला में लिंगानुपात पुरुषों के प्रभुत्व को प्रकट करता है, 2011 की जनगणना के आधार पर 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएँ हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जिले का जनसंख्यात्मक विवरण नीचे इंगित है:-

**तालिका:-02 जिले का जनसंख्यात्मक विवरण**

क्रम संख्या	जनसंख्या	लिंग के अनुसार		कुल परिवार	परिवार की संख्या
		कुल पुरुष	कुल महिला		
1	1690948	868845	822103	338445	306497
					31948

**तालिका:-03 जिले का साक्षरता का विवरण**

क्रम	जनसंख्या— ओसत	लिंग के अनुसार	शैक्षणिक	पहले	कमी
------	---------------	----------------	----------	------	-----

संख्या	साक्षरता (जनगणना-2011)	कुल पुरुष	प्रति क्षेत्र	कुल महिला	प्रति क्षेत्र	संस्थान में भाग लेने वाली जनसंख्या	शैक्षणिक संस्थान में भाग लिये हुए— जनसंख्या	शैक्षणिक संस्थान में भाग न लिये हुए— जनसंख्या
1	769439	455615	65.56	313824	47.98	428972	363440	897988

#### तालिका:-04 जिले का सामाजिक-आर्थिक विवरण

क्रम संख्या	धर्म के आधार पर विवरण	जनसंख्या (जनगणना-2011)	प्रतिशत	जाति के आधार पर	जनसंख्या (जनगणना-2011)	प्रतिशत
1	हिन्दू	531236	31.43	अनुसूचित जनजाति	64224	3.80
2	मुस्लिम	1149095	67.98	अनुसूचित जाति	113218	6.69
3	ईसाई	5783	0.34			
4	सिक्ख	398	0.02			
5	बौद्धिस्ट	183	0.01			
6	जैन	1476	0.09			

#### तालिका:-05 जिले का दिव्यांगता का विवरण

क्रम सं0	दिव्यांगों की संख्या (जनगणना-2011)	लिंग के अनुसार		ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों जनसंख्या	लिंग के अनुसार		शहरी क्षेत्रों में दिव्यांगों जनसंख्या	लिंग के अनुसार	
		पु0	म0		पु0	म0		पु0	म0
1	24307	13416	10891	21939	12019	9920	2368	1397	971

#### तालिका:-06 जिले का रोजगार के आधार पर विवरण

क्रम सं0	विवरण	जनसंख्या (जनगणना-2011)	लिंग के अनुसार	
			पु0	म0
1	कामगार	5,29,064		
2	गैर कामगार	11,61,336	4,45,778	7,15,558

## 2.5 जिले का आर्थिक संसाधन

### आर्थिक—

गांवों में खेती लोगों का प्रमुख व्यवसाय और यह आजीविका का मुख्य साधन है। इस क्षेत्र में ऐसे उद्योग नहीं हैं जो बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें। गरीब भूमिहीन परिवार दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। जिले में ईट भट्ठों का भी अस्तित्व नजर आता है, जहाँ मजदूर लोग खाली दिनों (जब खेती बाड़ी का मौसम न हो) में काम करते हैं।

### कृषि कार्य—

जिला किशनगंज बिहार राज्य कृषि जलवायु में क्षेत्र II में आता है। जिले में बलुई दोमद एवं चिकनी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ मिट्टी में पी0एच0 5.8 –8.00 कार्बनिक कार्बन 0.2–1.0 प्रतिशत, उपलब्ध

नाइट्रोजन (कि./हेक्टर) 150–300, उपलब्ध फॉसफोरस (कि./हेक्टर) 10–35 एवं उपलब्ध पोटाश (कि./हेक्टर) 150–250 है।

जिला किशनगंज के निवासियों के लिए कृषि कार्य एक प्रमुख आजीविका का स्रोत है। जिला कृषि विभाग के प्रतिवेदन के द्वारा जिले में कृषि योग्य भूमि 307232.025 एकड़, वर्षा आधारित कृषि भूमि 207507.70 एकड़ तथा गैर कृषि योग्य भूमि 164475.475 एकड़ है। जिला में बंजर भूमि 2550.3 एकड़ है तथा कृषि बंजर भूमि 5091.7 एकड़ है।

### **सिंचाई सुविधा—**

किशनगंज जिले में सिंचाई का मुख्य श्रोत ट्यूबेल तालाब एवं नदी है। लघु सिंचाई प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत जिले में सिंचाई के विभिन्न श्रोत उपलब्ध हैं, जिसमें ट्यूबेल, वियर योजना, एवं तालाबों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जिले में इस विभाग के अन्तर्गत 164 विभिन्न ट्यूबेल एवं 3 (तीन) वियर योजनाएँ हैं। जिसके तहत कुल 810 हेक्टर की सिंचाई ट्यूबेल के द्वारा एवं 600 हेक्टर की सिंचाई वियर योजना के द्वारा की जाती है। बिहार शाताब्दी निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत किशनगंज जिले में कुल 500 ट्यूबेल लगाये जाने हैं। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 80 ट्यूबेल लगाये जा चुके हैं।

### **तालिका:-08 बिहार शताब्दी नलकूप योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रगति**

क्र0 सं0	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कार्यपालक अभियंता/कृषि समन्वयक तथा पंचायत प्रतिनिधि द्वारा अनुशसित आवेदनों की संख्या	प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	गाडे गये नलकूपों की संख्या
1	2	3	4	5
1	647	80	80	80

**पशुपालन:** कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन इस जिले की प्रमुख गतिविधि है। पशुओं में दुधारू जानवर प्रमुख प्रजाति है लेकिन उनकी नस्लों उन्नत नहीं होती हैं। मवेशियों के अलावा मुख्यतः गाय, बैल, भैस तथा अन्य जानवर जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर और पक्षी पालन जिले में होता है। स्थानीय नस्लों के सुधार के लिए मुर्गी पालन विकास केंद्र ने कई योजनायें बनायी हैं। जिले में कई पशु चिकित्सालय तथा डिस्पेंसरियाँ भी हैं। इन संस्थाओं का प्रमुख कार्य उपचार, बचाव तथा पशुओं में रोगों का शमन करना है। सन् 2007 एवं सन् 2012 के सर्वे का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भैस एवं अन्य पालतू बड़े पशु एवं बकरी पालन में गिरावट आयी है।

**गैर कृषि अर्थ व्यवस्था:** किशनगंज जिला में कृषि के अतिरिक्त सामान्य उद्योग धंधे भी है, जो लोगों को आजीविका प्रदान कर रहे हैं। जिले में दो प्रमुख कारखानों का क्षेत्र है पहला— खगड़ा और दूसरा भेदियागांगी। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में लघु एवं सूक्ष्म उद्यम तथा कलात्मक ईकाई 367 हैं, जो लोगों के लिए एक प्रमुख आजीविका का स्रोत है।

## अध्याय : 3— खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis)

### 3.1 जिला में संभावित खतरों का विश्लेषण

जिला किशनगंज बहु-आपदा प्रभावित जिला है। जिले में सर्वाधिक क्षति बाढ़ के कारण होता है। साथ ही कटाव के कारण जिले का सर्वाधिक नुकसान होता है। जिले में अन्य परम्परागत कृषि के अतिरिक्त चाय एवं अनन्नास की खेती एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में विकसित है, लेकिन बाढ़ के वजह से इन फसलों का भी नुकसान होता है। जिले में अधिकांश ग्रामीण समुदाय की आजीविका मुख्यतः कृषि है जो विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय आपदा के प्रभाव से प्रभावित होती है। ऐसे में छोटे-मझोले और बड़े किसान जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थितियों को विशेषकर झेलते हैं, जबकि उनकी आजीविका विभिन्न जोखिमों और उनके प्रकोपों से सीधे प्रभावित होती है जिसका असर उनके जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। बिहार में किशनगंज एकमात्र शहर है जहां चाय एवं अनन्नास की खेती के लिए जलवायु उपयुक्त मानी जाती है।

### 3.2 जिले में आपदाएँ:

जिला किशनगंज सभी मुख्य जोखिमों (प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों) के प्रति संवेदनशील है। जिला में बाढ़, वज्रपात, अगलगी, भूकम्प, शीतलहर, चक्रवाती तूफान, सूखाड़, सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, जल स्त्रोत में डूबने की घटना आदि से प्रभावित होता है। परन्तु यह जिला मुख्यतः बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव, नदी के कटाव, अगजनी तथा चक्रवाती तुफान से अत्यधिक प्रभावित होता है। जिले के लगभग सभी प्रखण्ड किसी न किसी आपदा से प्रभावित होता रहता है। आपदाओं के समय मनुष्य की आजीविका तथा जीवन दोनों ही प्रभावित हो जाता है। आपदा के कारण पर्यावरण की क्षति, खाद्य पदार्थों की कमी, शिक्षण कार्य अवरुद्ध, स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याएं, मानसिक तनाव, जनसंख्या का विस्थापन, आर्थिक तंगी, पशु आहार की समस्या, यातायात की समस्या इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। मूलभूत सुविधाओं के आभाव व आर्थिक समस्या से समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा पहले जैसी स्थिति प्राप्त करने में समुदाय एवं प्रशासन को लम्बा समय लग जाता है।

**तालिका-9: जिले का प्रमुख आपदाएँ**

क्रम संख्या	प्राकृतिक आपदाएँ	क्रम संख्या	मानव जनित आपदाएँ
1	बाढ़	1	सड़क दुर्घटना
2	वज्रपात / ठनका	2	नाव दुर्घटना
3	चक्रवाती तूफान	3	डूबने की घटना
4	भूकम्प	4	अगलगी
5	शीतलहर	5	बिजली का करेण्ट लगना
6	लू		
7	ओलावृष्टि		
8	सूखाड़		
9	सर्पदंश		

### तालिका:-10: जिले में बहु—आपदाओं का मौसमी मानचित्र

क्रम संख्या	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर			
<b>प्राकृतिक आपदायें</b>																
1	बाढ़							मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम				
2	वज्रपात							उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम					
3	अगलगी	सामान्य	सामान्य	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	सामान्य	सामान्य	मध्यम	मध्यम				
4	चक्रवाती तूफान			उच्च	उच्च	उच्च					मध्यम					
5	भूकम्प	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च				
6	शीतलहर	उच्च											मध्यम			
7	लू						उच्च	उच्च								
8	ओलावृष्टि			उच्च	मध्यम											
9	सूखाड़							उच्च	उच्च	उच्च						
10	सर्पदंश								मध्यम	उच्च	मध्यम					
<b>मानवीय आपदायें</b>																
9	सड़क दुर्घटना	उच्च	मध्यम									उच्च				
10	नाव दुर्घटना		सामान्य				मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य					
11	झूबने की घटना		सामान्य				मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य					
12	बिजली का करेण्ट लगना		सामान्य	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	सामान्य						
13	साम्प्रदायिक दंगा		सामान्य													

### तालिका:-11: जिले में आपदाओं का जीवन एवं आजीविका पर प्रभाव

क्रम संख्या	खतरा	कारण	जोखिम के दृष्टि असुरक्षित क्षेत्र	जिला का प्रभावित क्षेत्र
1	बाढ़	जिले में 7 नदियाँ हैं जिसके बजह से प्रतिवर्ष बाढ़ आती है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ कृषि—फसल, भूमि, बागवानी, फलदार वृक्ष</li> <li>■ तटबन्ध</li> <li>■ अस्पताल</li> <li>■ आवागमन मार्ग</li> <li>■ विद्यालय</li> <li>■ पेयजल</li> <li>■ सिचाई उपकरण</li> <li>■ पशुधन</li> </ul>	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड

			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मकान</li> <li>■ निर्माण कार्य</li> <li>■ मानव जीवन</li> <li>■ पर्यावरण</li> <li>■ दिव्यांग जन, वयोवृद्ध, गर्भवती महिला एवं बच्चे।</li> </ul>	
2	वज्रपात/ ठनका	अधिकतर बारिश के दिनों में बिजली गिरने से।	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मानव जीवन</li> <li>■ पशुधन</li> <li>■ मकान</li> </ul>	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड
3	अगलगी	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मानव की लापरवाही के कारण</li> <li>■ बिजली के सार्क सर्किट से</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मानव जीवन</li> <li>■ पशुधन</li> <li>■ मकान</li> <li>■ जरूरी कागजात</li> <li>■ फसल</li> <li>■ कपड़ा</li> <li>■ अनाज</li> </ul>	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड लेकिन सर्वाधिक संवेदनशील प्रखण्ड ठाकुरगंज, टेढ़ागाछ, बहादुरगंज एवं किशनगंज शहर है।
4	चक्रवाती तूफान	चक्रवाती तेज हवाओं के कारण।	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मानव जीवन</li> <li>■ पशुधन</li> <li>■ फसल</li> <li>■ कच्चे एवं झोपड़ी वाले मकान</li> <li>■ दूरभाष केन्द्र</li> </ul>	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड
5	भूकम्प	जिले में प्रखण्ड टेढ़ागाछ एवं दिधलबैंक का एक तिहाई भाग सिस्मिक जोन V में एवं शेष प्रखण्ड ठाकुरगंज, पोठिया, बहादुरगंज, कोचाधामन एवं किशनगंज सिस्मिक जोन IV में आते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मानव जीवन</li> <li>■ पशु धन</li> <li>■ आजीविका</li> <li>■ कच्चे एवं पक्के मकान</li> <li>■ पुल, पुलिया एवं सड़क</li> <li>■ समाहरणालय एवं विद्यालय</li> <li>■ दूरभाष केन्द्र</li> <li>■ पर्यावरण</li> <li>■ दिव्यांग जन, वयोवृद्ध, गर्भवती महिला एवं बच्चे।</li> </ul>	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड
6	शीतलहर	सर्दी के महीने में कोहरा एवं सर्द हवाओं का प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मानव जीवन</li> <li>■ पशुधन</li> <li>■ फसल</li> </ul>	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड
7	ओलावृष्टि	बारिश के पानी के साथ अचानक छोटे-छोटे बर्फ के टुकड़े गिरना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● फसल</li> <li>● जान-माल</li> <li>● फूस के मकानों की क्षति</li> </ul>	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड
8	सर्पदंश	बारिश के दिनों में क्षेत्र में पानी भरने/बाढ़ आने के कारण	मानव क्षति/पशु क्षति	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड

9	सड़क दुर्घटना	सड़क पर अंधे मोड़, अनियंत्रित वाहन चलाने, अव्यस्थित सड़क एवं पुल निर्माण, समुदाय द्वारा मुख्य मार्ग में डिवाइडर काटकर कर रोड क्रास करने, कम उम्र में वाहन चलाने एवं गलत साइड से ओवरट्रैक करने के कारण	मानव जीवन	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड
10	नाव दुर्घटना	क्षमता से अधिक वजन लेकर नाव संचालित करने के कारण	मानव जीवन	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड
11	झूबने की घटना	बाढ़ के दौरान द्वारा नाव से नदी पार करने या बाढ़ के पानी में नहाने के कारण	मानव जीवन	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड
12	बिजली का करेण्ट लगना	<ul style="list-style-type: none"> <li>● चक्रवाती तूफान के दौरान बिजली के तार टूटने या बिजली का पोल गिरने से</li> <li>● बारिश के दिनों में चापाकलों या अन्य स्थानों पर बिजली से सम्पर्क हो जाने के कारण</li> </ul>	मानव क्षति / पशु क्षति	जिला का सम्पूर्ण प्रखण्ड

### 3.3 जिला किशनगंज में आपदाओं का विवरण—

#### बाढ़

जिला आपदा प्रबन्धन विभाग की कार्ययोजना 2015–16 के अनुसार जिले में 126 ग्राम पंचायतों में 55 ग्राम पंचायते बाढ़ से प्रभावित हैं। महानंदा नदी से 12 ग्राम पंचायतें, महानंदा एवं डॉक दोनों नदियों से 2 ग्राम पंचायते, डॉक नदी से 5 ग्राम पंचायतें, महानंदा एवं कनकई दोनों नदियों से 1 ग्राम पंचायत, कनकई नदी से 22 ग्राम पंचायतें, बूढ़ी कनकई से 3 ग्राम पंचायतें, चेंगा नदी से 1 ग्राम पंचायत, रतुवा नदी से 7 ग्राम पंचायतें, चेंगा नदी प्रभावित स्थल ठाकुरगंज प्रखण्ड में भोलमारा (माखनपुर, भोलाबस्ती एवं कोल्हा बस्ती) तथा तातपौआ ग्राम पंचायतें, प्रभावित होती हैं।

तालिका:-12: प्रखण्डवार बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत/स्थल एवं गांव का विवरण

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या	स्थल/गांव की संख्या
1	किशनगंज	6	23
2	कोचाधामन	7	7
3	बहादुरगंज	9	30
4	दिघलबैंक	8	31
5	ठाकुरगंज	6	10
6	पोठिया	9	14
7	टेढ़ागाछ	10	37
कुल योग	07	55	152

**तालिका:-13: जिला में बाढ़ से नुकसान का विवरण ( सन् 2007 से 2016 तक)**

वर्ष	बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों की संख्या	प्रभावित ग्राम पंचायतें			जनवर	प्रभावित क्षेत्र लाख हेक्टेअर में				गृह क्षति						मृतकों की संख्या			
		पूर्ण	आंशिक	कुल योग		प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या व्यक्ति प्रभावित लाख में	प्रभावित क्षेत्र लाख हेक्टेअर में	कृषि योग्य	गैर कृषि योग्य	फसल क्षति (राशि लाख)	पवका		कच्चा		जोगड़ी	कुल योग	मानव	
		पूर्ण	आंशिक	कुल योग		प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या व्यक्ति प्रभावित लाख में	प्रभावित क्षेत्र लाख हेक्टेअर में	कृषि योग्य	गैर कृषि योग्य	फसल क्षति (राशि लाख)	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	जोगड़ी	कुल योग	नाव दुर्घटना द्वारा	
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
2008	5	0	16	16	26	0.06	0.004	0	0.01	0	85.16			388	32	0	428	3	0
2009	6	8	39	47	181	0.7	0	0	0.03	0.01	52.33	2	0	171	1395	0	1568	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011	4	0	5	5	5	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	7	28	72	100	557	2.51	0.02	0	0.5	0.04	365.76	0	0	1339	1007	0	2346	5	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	7	09	72	81	451	285939	10630	26161	23385	2776	1.7392	23	77	167	1102	2802	4171	10	18

**विश्लेषण नोट—** जिले में सन् 2013 की बाढ़ ने जिला के सर्वाधिक क्षेत्रों को प्रभावित किया था, लेकिन सामुदायिक जन-धन की हानि सन् 2016 की अपेक्षा कम था। इसका प्रमुख कारण 2013 की बाढ़ एक फ्लैश फ्लॉड थी और नदी का पानी क्षेत्र में आया तथा कम समय में ही क्षेत्र से निकल गया। सन् 2016 की बाढ़ जिला के लिए अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ प्रतीत हो रही है, क्योंकि इस बाढ़ से जिले के सातों प्रखण्ड प्रभावित हुए तथा समुदाय के जन-धन की हानि अधिक रही है।



तालिका:-16: जिले में अग्निकाण्ड का विवरण— जुलाई से दिसम्बर तक

वर्ष	जुलाई			अगस्त			सितम्बर			अक्टूबर			नवम्बर			दिसम्बर		
	उ0	म0	नि0	उ0	म0	नि0	उ0	म0	नि0	उ0	म0	नि0	उ0	म0	नि0	उ0	म0	नि0
2011	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	0	5	1	0	3
2012	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	5	0	0	0
2013	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	4
2014	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2	0	1	2	0	3	2	1	2
2015	3	0	0	0	3	3	0	0	1	1	0	2	0	0	4	2	4	11
2016	1	0	0	3	0	0	1	1	1	1	1	6	0	3	3	1	5	

**विश्लेषण—** जिला में उपर्युक्त आँकड़ों के आधार पर सर्वाधिक घटनायें मार्च एवं अप्रैल माह में रही हैं लेकिन सन् 2015 एवं 2016 में दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी माह में भी घटनायें रही हैं। उपर्युक्त आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी में भी अधिक सर्तक एवं तत्पर रहने की आवश्यकता होगी।

### चक्रवाती तूफान

जिला चक्रवाती तूफान के दृष्टि से भी संवेदनशील रहा है। जिले में चक्रवाती तूफान के दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील प्रखण्ड बहादुरगंज, टेढ़ागाछ, दिघलबैंक एवं किशनगंज प्रखण्ड रहा है। जिला में दिनांक 1 मई 2012 को आये भीषण चक्रवाती तूफान के प्रभाव से निम्नांकित प्रखण्ड प्रभावित रहा है—

तालिका:-17: जिले में चक्रवाती तूफान से हुये क्षतियों का विवरण

क्रमांक	अंचल का नाम	पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान		आंशिक क्षतिग्रस्त मकान		क्षतिग्रस्त झोपड़ी	क्षतिग्रस्त पशु शेड	कुल प्रभावित परिवारों की संख्या
		पक्का	कच्चा	पक्का	कच्चा			
1	किशनगंज	0	0	42	87	29	0	158
2	दिघलबैंक	0	21	0	2139	14	0	2174
3	बहादुरगंज	0	305	180	2849	1429	0	4763
4	टेढ़ागाछ	0	26	0	205	6	5	242
<b>कुल योग</b>		<b>0</b>	<b>352</b>	<b>222</b>	<b>5280</b>	<b>1478</b>	<b>5</b>	<b>7337</b>


### भूकम्प

भारतीय मानक व्यूरो के नवीनतम सिस्मिक जोन मानचित्र के अनुसार किशनगंज जिले के प्रखण्ड टेढ़ागाछ एवं दिघलबैंक भूकम्प के दृष्टि से सिस्मिक जोन V में आते हैं। टेढ़ागाछ प्रखण्ड का लगभग एक तिहाई भाग से भी अधिक हिस्सा जोन V में आता है तथा दिघलबैंक प्रखण्ड का लगभग एक तिहाई भाग के आस—पास जोन V में आता है। यदि कभी भूकम्प आयेगा तो जोन V में आने वाले क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान होने की संभावना होगी। जिला के शेष प्रखण्ड ठाकुरगंज, पोठिया, बहादुरगंज, कोचाधामन एवं किशनगंज सिस्मिक जोन IV में आते हैं, लेकिन जोन IV में आने वाले क्षेत्रों में भी अधिक नुकसान होने की संभावना होगी।

ऐसे में भूकम्प से बचाव हेतु पूर्व तैयारी न करने, निर्माण गतिविधियों की उचित निगरानी न होने, उपर्युक्त तकनीकी दक्षता का अभाव तथा भूकम्प जोखिम के शमन उपायों पर आमजन के बीच

जागरूकता न होने आदि कारणों से पहले से ही नाजुक भौगौलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों/समुदाय या फिर क्षेत्रों की नाजुकता और भी बढ़ जाती है।

## जिला का भूकम्प जोन मानचित्र



कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के प्रतिवेदन के अनुसार क्षतिग्रस्त भवनों का विवरण निम्न प्रकार है—

तालिका:-18: जिले में भूकम्प से हुये क्षतियों का विवरण

क्रमांक	अंचल का नाम	क्षतिग्रस्त (सार्वजनिक) भवन/मकान की स्थिति	
		पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन (जिसमें मरम्मतीकरण के बाद भी जोखिम की संभावनादर अधिक है) की संख्या	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन (जिसमें मरम्मतीकरण के बाद जोखिम की संभावना दर कम है) की संख्या
1	किशनगंज	02	03
2	बहादुरगंज	01	02
3	ठाकुरगंज		05
कुल योग		03	10
क्षतिग्रस्त (निजी) भवन/मकान की स्थिति			
1	बहादुरगंज		01
2	किशनगंज		08
3	ठाकुरगंज	01	01
कुल योग		01	10

## शीतलहर

जिला किशनगंज खूबसूरत पहाड़ी दार्जिलिंग एवं नेपाल के निकट अवस्थित है। जिले में दिसम्बर माह के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक ठंड का प्रकोप रहता है। इस मौसम में सामान्यतः देखा गया है कि कोहरे के साथ शीतलहर चलती है। ऐसी स्थिति में शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए समुदाय को अलाव का सहारा लेना पड़ता जाता है। शीतलहर के समय सड़कों पर धुंध/फॉग हो जाने के कारण कम दूरी तक हीं दिखाई पड़ती है। इस कारण (**Poor visibility**) के कारण सड़क दुर्घटनाएँ अधिक होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। कभी—कभी कुछ सड़कों पर एक साथ एक—दूसरे से गाड़ियाँ टकड़ा जाने के कारण सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं।

## ओलावृष्टि

जिला में ओलावृष्टि का भी असर देखा गया है। ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ओलावृष्टि होने की सबसे अधिक संभावना मार्च महीने में रहता है तथा कभी—कभी अप्रैल महीने में भी होने की संभावना रहती है। खाशकर ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति एवं कच्चे घरों की क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है।

## सूखाड़

आपदा प्रबंधन विभाग पटना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जिले में सन् 1966, 1971, 1972, 1979, 1982, 1992, 2001 और 2009 में सूखाड़ का असर रहा है। सूखाड़ का प्रमुख कारण औसत वर्षापात का कम होना एवं सिंचाई सुविधाओं का आभाव है।

### सूखे का संकेतक :

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अपर्याप्तता लगातार बने रहना।
- भू—जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।
- पानी के अभाव में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना और अंततः बर्बाद हो जाना।
- तालाबों एवं जलाशयों में पानी का कम होना तथा नित्य जल स्तर का गिरना।

फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति में फसल का नहीं लग पाना।

## सर्पदंश—

बरसात के दिनों में एवं बाढ़ के समय लोगों के द्वारा अस्थायी तौर पर बांधों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बरसात एवं बाढ़ के समय अस्थायी जगहों पर रहने के कारण सर्पदंश का शिकार होना पड़ता है। बरसात के दिनों में कभी—कभी घरों में सांप छिपने के लिए आ जाता है और उस घर में रहने वाले व्यक्ति को सर्पदंश का खतरा बना रहता है। फसलों को पशु से सुरक्षा के लिए किसानों को खुले आसमान के नीचे खेतों में रहना एवं सोना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में कभी—कभी खेत में सोये हुए व्यक्ति को सर्पदंश का शिकार होना पड़ता है। जिले में सन् 2011 से 2015 तक कुल 09 घटनायें हुई हैं, जिसका विवरण नीचे इग्नित है—

**तालिका:-19:** जिले में सर्पदंश से मृत्यु का विवरण—2011–2015

क्रमांक	सन्	सर्पदंश से मृत्यु की संख्या
1	2011	02
2	2012	02
3	2013	01

<b>4</b>	<b>2014</b>	<b>03</b>
<b>5</b>	<b>2015</b>	<b>01</b>
<b>कुल योग</b>		<b>09</b>

### 3.4 जिले में मानव प्रदत्त आपदाओं का विवरण—

#### सड़क दुर्घटना

जिला किशनगंज में पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो उत्कृष्ट विकास का धोतक है। जिला में मानव द्वारा राष्ट्रीय राज्य मार्ग तथा राज्य मार्ग में जगह-जगह पर बीच-बीच में अपनी सुविधा हेतु कट बना कर सड़क पार किया जा रहा है, तथा वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, कम उम्र में वाहन चलाना आदि सड़क दुर्घटना को बढ़ा रहा है। जिले में सड़क दुर्घटना के जोखिम की दृष्टि से देखा जाए तो पथ निर्माण विभाग कार्यालय, किशनगंज के समीप निर्मित पुल भी सड़क दुर्घटना के लिए रिस्क प्वाइंट हो सकता है। इस पुल के पास पुल के नीचे से दोनों तरफ निकलते हुए यात्री को मुड़कर पुल पर चढ़ना एक सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण बन सकता है। पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विगत 2012 से 2016 (समय सीमा जनवरी से दिसम्बर) के मध्य 248 सड़क दुर्घटना से मृत्यु रही है और 400 लोग जख्मी हुये हैं। सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित आंकड़े नीचे अंकित हैं—

**तालिका:-20: जिले में सड़क दुर्घटना सम्बन्धित विवरण—2012–2016 (जनवरी से दिसम्बर)**

क्रमांक	सन्	प्रतिवेदित काण्डों की संख्या	मृतकों की संख्या	जख्मियों की संख्या
1	2012	95	47	56
2	2013	111	52	69
3	2014	83	39	75
4	2015	90	49	103
5	2016	96	61	97
<b>कुल योग</b>		<b>475</b>	<b>248</b>	<b>400</b>

#### नाव दुर्घटना

जिला नाव से दुर्घटना के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि जिले में सात नदियाँ बहती हैं और लोग नदियों में नाव के द्वारा सवारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा नदी पार करने हेतु बिना रजिस्टर्ड नाव में असुरक्षित रूप से नाव की सवारी की जाती है। आपातकालीन समय में नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार हो जाते हैं, जिससे नाव से दुर्घटना की संभवना बढ़ जाती है।

#### बिजली का करेण्ट लगना

जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असावधानी पूर्वक बारिश के दिनों में या सामान्य दिनों में बिजली के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली के करेण्ट लगने के अधिक संभावनएं होती हैं।

## झूबने की घटना

जिला में समुदाय के जारूकता के आभाव में नदी या अन्य जल स्रोतों में झूबने से किशनगंज अंचल में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3 व्यक्तियों के मृत्यु की घटनाये हुई है। प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2021 में 25 लोगों की मृत्यु की झूबने की घटनाएं से हुई है। अतः देखा जाय तो जल स्रोत में झूबने की घटना से भी किशनगंज जिला संवेदनशील है। झूबने से घटनाओं को कम करने एवं बचाव हेतु समुदाय को प्रशिक्षण एवं स्थानीय स्तर पर लाईफ जैकेट के निर्माण एवं उपयोग हेतु जागरूक करने की आवश्यकता है।

## कोमिकल दुर्घटना – सम्भावित

किशनगंज जिला में कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे भी हैं, जो लोगों को आजीविका प्रदान कर रहे हैं। जिले में दो प्रमुख कारखानों का क्षेत्र है पहला— खगड़ा और दूसरा भेदियागांगी। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में लघु एवं सूक्ष्म उद्म तथा कलात्मक ईकाई 367 हैं, जो लोगों के लिए एक प्रमुख आजीविका का स्रोत बना हुआ है। इसमें कोमिकल रिएक्शन से सम्बन्धित घटनायें होने की संभावनाये बन सकती है इसके प्रति सर्वक एवं तत्पर रहने की आवश्यकता है।

## 3.5 जिला का संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण

किसी भी व्यक्ति, प्रशासन या समूह की क्षमता आपदा का सामना करने या किसी भी आपदा से त्वरित उबरने में समय लगता है जिसे हम संवेदनशीलता के सन्दर्भ में परिभाषित कर सकते हैं। जिले की संवेदनशीलता विशेष रूप से जिले में किसी भी संभावित आपदा के अनुमान, उसका सामना, उससे बचने तथा उबरने की क्षमता के आधार पर निर्धारित होता है। आजीविका के सीमित अवसर, प्रति व्यक्ति आय में कमी, अव्यवस्थित एवं अविकसित संरचना तथा अनियोजित विकास, अव्यवस्थित एवं तीव्र शहरीकरण, जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर प्रचलित सामाजिक ढांचे तथा पर्यावरण क्षरण आदि जिले को बहु आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

### भूकम्प के दृष्टि से संवेदनशील भवनः—

आपदा के दृष्टि से भौतिक संवेदनशील ढांचागत निर्माण की गुणवत्ता के मानकों के आधार पर देखा जाता है। अगर भूकम्प को दृष्टिगत रखते हुए जिले में समस्त भवन आपदारोधी निर्मित है, तो वे क्षमतावान की श्रेणी में आयेंगे और यदि जर्जर या भूकम्परोधी मानक के अनुसार नहीं निर्मित है तो वे भवन भौतिक संवेदनशील के अन्तर्गत आते हैं। किसी भी प्रकार का ढांचा सम्बन्धित निर्माण अगर आपदाओं के प्रभाव को झेलने में कामयाब होता है, तो वह रेजिलिएन्स ढांचा माना जायेगा और जो भवन किसी भी प्रकार के आपदाओं को झेलने में सक्षम नहीं है तो वे भौतिक संवेदनशील के अन्तर्गत आयेंगे।

जिला किशनगंज में भवन प्रमण्डल के प्रतिवेदन के अनुसार 45 ऐसे भवन हैं जो भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील है तथा जिनकी रेट्रोफिटिंग कराना आवश्यक है। भवनों का विवरण नीचे अंकित है—

- समाहरणालय भवन
- पुराना अनुमण्डल कार्यालय
- सदर अस्पताल
- जिला अतिथि गृह
- भवन प्रमण्डल कार्यालय

- उत्पाद कार्यालय
- पशु चिकित्सालय
- जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय
- अतिथिशाला हवाई अड्डा
- पदाधिकारी आवास के सभी भवन
- सिविल सर्जन आवास
- मण्डल द्वारा अन्तर्गत सभी भवन
- जिला पदाधिकारी आवास
- व्यवहार न्यायालय का सभी पुराना भवन
- जिला सत्र न्यायाधीश का आवास
- प्रधान न्यायाधीश का आवास
- पीठासीन पदाधिकारी का सभी भवन
- किशनगंज प्रखण्ड का भवन
- पोटिया प्रखण्ड कार्यालय एवं अन्य सभी भवन
- टेढ़ागाछ प्रखण्ड कार्यालय एवं अन्य सभी भवन
- कोचाधामन प्रखण्ड कार्यालय एवं आवास भवन
- दिघलबैंक प्रखण्ड कार्यालय एवं आवास भवन
- जिले के सभी 22 स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र

### **संवेदनशील स्कूल**

जिला किशनगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार जिले में बहु—आपदाओं के दृष्टि से जिला के निम्नांकित स्कूल संवेदनशील हैं:—

**तालिका:-21: बहु—आपदा के दृष्टि से प्रखण्डवार संवेदनशील स्कूलों का विवरण**

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	बाढ़ प्रभावित स्कूलों की संख्या	भूकम्प के दृष्टि से संवेदनशील स्कूलों की संख्या	अगलगी के दृष्टि से संवेदनशील स्कूलों की संख्या	नदी के कटाव की जद में आने वाले स्कूलों की संख्या
1	बहादुरगंज	12	98	148	4
2	टेढ़ागाछ	47	142	142	86
3	किशनगंज	30	123	140	10
4	दिघलबैंक	31	112	166	18
5	पोटिया	36	90	234	22
6	कोचाधामन	48	249	256	10
7	ठाकुरगंज	47	73	61	25
<b>कुल योग</b>		<b>251</b>	<b>887</b>	<b>1147</b>	<b>175</b>

**नोट:—**

**बाढ़ प्रभावित—** जिले में 251 स्कूल बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि ये नदी के समीप है तथा इनका निर्माण अपेक्षाकृत नीचले क्षेत्रों में हुआ है।

**अस्थायी आश्रय हेतु स्कूलों का उपयोग—** जिले में 179 स्कूलों को बाढ़ के दौरान अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। (बहादुरगंज प्रखण्ड में 15 स्कूल, टेढ़ागाछ प्रखण्ड में 5 स्कूल, किशनगंज प्रखण्ड में 13 स्कूल, दिघलबैंक प्रखण्ड में 20 स्कूल, पोठिया प्रखण्ड 25 स्कूल, कोचाधामन प्रखण्ड में 48 स्कूल तथा ठाकुरगंज प्रखण्ड में 53 स्कूल हैं।)

**भूकम्प संवेदितः—** जिले में 887 स्कूल भूकम्प संवेदित हैं, क्योंकि स्कूल भवन पुराने निर्मित हैं तथा वे भूकम्प रोधी तकनीकी के आधार नहीं बनाये गये हैं।

**आगलगी संवेदित —** जिला के 1147 आगजनी संवेदित स्कूलों में लगे अग्निशामक यंत्र कुछ तो खराब है और कुछ की रिफिलिंग नहीं हुई है।

### नदियों द्वारा कटाव

जिला किशनगंज में कटाव एक प्रमुख जोखिम है। नदियों द्वारा कटाव के कारण जिले में अचल सम्पत्तियों की हानि होती रही है। जिला में कटाव माह मई, नवम्बर तथा दिसम्बर में कम एवं जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर में अधिक होता है। माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल में केवल भूमि का क्षरण होता है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, किशनगंज (जल संसाधन विभाग) के अन्तर्गत नदियों द्वारा कटाव के सापेक्ष जोखिम न्यूनीकरण एवं बाढ़ प्रत्युत्तर विषय पर कार्य किया जा रहा है। कटाव के दृष्टि से जिला के सभी प्रखण्ड संवेदनशील हैं। जिला में सर्वाधिक कटाव महानंदा, डोंक, चेंगा, कनकई एवं रतुवा नदियों के द्वारा होता है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, किशनगंज के प्रतिवेदन के अनुसार जिले में तटबंधों की भौतिक स्थिति का विवरण नीचे इंगित है—

- महानन्दा बायाँ तटबन्ध—** यह तटबन्ध किशनगंज जिला के अन्तर्गत मौजाबाड़ी बांध से पुलिस लाइन होते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वदिलाय केन्द्र किशनगंज तक लगभग 4 किमी० की लम्बाई तक बांध निर्माण किया जा रहा है एवं पाठिया प्रखण्ड में अवस्थित अर्बाबाड़ी कृषि माहाविद्यालय के सुरक्षात्मक कार्य हेतु लगभग 5 किमी० की लम्बाई का बांध निर्माण किया जा रहा है।
- महानन्दा दायाँ तटबन्ध—** यह तटबन्ध किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखण्ड के पाटकोई कला में अवस्थित है, जिसकी लम्बाई 4 किमी० है।

### 3.4.2 जिले का सामाजिक एवं आर्थिक संवेदनशीलताएः—

जिला किशनगंज में सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर आंकड़ों के अनुसार निष्कर्ष यह निकलता है, कि यहाँ कि सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान व्यवस्था है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में कुल 338445 परिवार निवास करता है। उपरोक्त मुद्दों पर 2011 की जनगणना के अनुसार जिले के सामाजिक संवेदनशीलता निम्न है—

- लिंग के आधार पर—** जिला में 2011 की जनगणना के आधार पर आंकड़ों पर नजर डाली जाए यह स्पष्ट जानकारी मिलती है, कि जिले की सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान व्यवस्था है और यहाँ 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं हैं।
- साक्षरता के आधार—** जिला में कुल 64.56 प्रतिशत पुरुष साक्षर है और 47.98 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।
- जाति के आधार पर—** जिले में अनुसूचित जनजाति 3.80 प्रतिशत तथा अनूसूचित जाति 6.69 प्रतिशत है।
- दिव्यांगता के आधार पर—** जिले में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या 24307 है, जिसमें पुरुष 13416 एवं महिला 10891 है।
- रोजगार के आधार—** जिला में रोजगार के आधार पर 11,61,336 लोग गैर कामगार हैं, जिनके पास रोजगार का आभाव और उन्हें रोजगार का अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहा है। किशनगंज

जिला में श्रम अधीक्षक, किशनगंज के द्वारा 2006 के एनसीएपी सर्वेक्षण के आधार पर कुल बाल श्रमिकों की संख्या 4016 है।

### जलवायु परिवर्तन

गरीब एवं सीमांत किसान किशनगंज जिले में प्रायः शीतलहर, मौसमी बाढ़ आदि जलवायु जनित खतरों से प्रभावित होते रहते हैं। मानसून की भारी बारिश से प्रेरित बाढ़ ने केवल खड़ी फसलों को ही क्षति नहीं पहुँचायी है अपितु मानव एवं पशुधन को भी जानलेवा नुकसान पहुँचता है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में सतत परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप छोटी जोत वाले किसान, पूँजी की कमी वाले लोग, परम्परागत कृषि यंत्र का उपयोग करने वाले, अल्प समर्थन कृषि मूल्य पाने वाले एवं फसल बीमा सुरक्षा से बाहर के किसान ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं।

### जोखिम :

- पशुधन के रखरखाव की समस्या।
- तापमान, वर्षा, हवा, नमी एवं अन्य जलवायु संबंधी घटकों में दीर्घकालिक बदलाव।
- इन बदलावों के साथ अनुकूलन स्थापित करने की समस्या।
- जलवायु परिवर्तन के चलते वर्षापात, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।

### जोखिम के दुष्प्रभाव:

- अत्यधिक गर्मी।
- वर्षा का परिवर्तित स्वरूप।
- भूजल स्तर में गिरावट।
- सूखा समस्या।
- कृषि और खाद्य समस्या।
- जल समस्या।
- स्वास्थ्य समस्या।
- पलायन, प्रवासन आदि।

### पेयजल गुणवत्ता

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 4 प्रखण्डों के 38 ग्राम पंचायतों में पेय जल गुणवत्ता की जाँच किया गया जिसके आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई, कि पानी में आयरन प्राप्त किया गया है। दिघलबैंक, टेढ़ागाछ, कोचाधामन एवं पोठिया प्रखण्ड में पानी में आयरन डीजायरेवल लिमिट 0.3 मी०ग्रा० प्रति लीटर से अधिक पाया गया है।

### 3.6 क्षमता विश्लेषण

क्रम सं०	विभाग	संख्या एवं विवरण	अभ्युक्ति
<b>1. अभियांत्रिकीय (Engineering)</b>			
1.1	लघु सिंचाई विभाग	ट्यूबेल-66	जिले में कुल 221 नलकूप हैं, जिसमें 89 नलकूप खराब हैं।
		नलकूप- 132	
1-2	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल	प्रमुख नदी- 02 ( महानंदा व कनकई)	महानंदा फेज 3 परियोजना के अन्तर्गत गाछपाड़ा से मौजाबाड़ी तक का तटबंध पूर्ण कर लिया
		उप नदी-05 ( बुढ़ी कनकई, रतुआ, मेंची, डोंक, चंगा)	

		तटबन्ध—01	गया है।
1-3	विद्युत विभाग	कार्यपालक अभियंता— 2	
		सहायक कार्यपालक अभियंता (ए0ई0ई0)— 03	
		जूनियर इंजिनियर (जे0ई0)—14	
		इलेक्ट्रिसीयन— 03	
		आई0टी0मैनेजर—01	
		सहायक आई0टी0मैनेजर— 04	
1-4	पथ निर्माण विभाग		एन0एच0 31 किशनगंज से होते हुये गुजरता हैं और यह एक प्रमुख रोड जो जिले को पश्चिम बंगाल, उ0 प्र0 तथा अन्य राज्यों से जोड़ता है।
1-5	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण		<ul style="list-style-type: none"> <li>चापाकल अधिष्ठापन— प्रस्तावित 50</li> <li>चापाकल मरम्मतीकरण— प्रस्तावित 400</li> <li>चापाकल राईजिंग— प्रस्तावित 250</li> <li>अस्थाई शौचालय 02 अद्द) — प्रस्तावित 200</li> </ul> <p>क्लोरीनेशन— प्रस्तावित 2200</p>
1-6	रेलवे	<p>यह कटिहार रेलवे डिविजन के अन्तर्गत आता है। अररिया, पुर्णिया, कटिहार, जिलों से सीधा सम्पर्क बनाते हुये पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी को ब्राड गेज से एवं दार्जिलिंग को नैरो गेज के माध्यम से जोड़ता है।</p> <p>यहाँ से जुड़ते हुए देश के अन्य शहरों के लिए रेलगाड़िया चलती है जैसे— नई दिल्ली, मुम्बई, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलौर, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम आदि। गरीब नवाज एक्सप्रेस यही से चलती है और अजमेर तक जाती है। राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली और गुवाहाटी के लिए जाती है वह किशनगंज में ठहरती है।</p>	
1-7	बी0एस0एन0एल0	<p>06456-222900 (कार्यालय) 222555 (आवास) 226000 (फैक्स)</p>	

## 2. गैर अभियांत्रिकीय (Non- Engineering)

क्र0	विभाग का नाम	संख्या व विवरण	अभियुक्ति
2-1	जिला प्रशासन	जिला समाहरणालय में कार्यरत मानव संसाधन की संख्या— 110	
2-2	स्वास्थ्य विभाग	कुल स्वास्थ्य कर्मचारी— 432	स्वीकृत पद—863 एवं रिक्त पद— 431
		जिला अस्पताल की संख्या — 01	
		प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या — 07	
		अतिरिक्त प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या— 10	
		स्वास्थ्य उपकेन्द्र— 155	

		रेफरल अस्पताल— 01			
		कुल चिकित्सक की संख्या— 41	कार्यरत चिकित्सक—41, अनुमोदित— 116, रिक्त पद—75		
		कुल ए०एन०एम० की संख्या— 189	<ul style="list-style-type: none"> <li>ए०एन०एम० स्थायी—कार्यरत—72, अनुमोदित— 175, रिक्त पद—103</li> <li>ए०एन०एम० संविदा— कार्यरत—117, अनुमोदित— 186, रिक्त पद—69</li> </ul>		
		नर्स — 19			
		आशा कार्यकर्त्री— 1368	कार्यरत—1368, अनुमोदित—1572, रिक्त पद—204		
		ममता— 34			
		फार्मासीस्ट— 05	कार्यरत—5, अनुमोदित—9, रिक्त पद—4		
		स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संख्या— 11	कार्यरत—11, अनुमोदित—33, रिक्त पद—22		
		स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संख्या— 08	कार्यरत—8, अनुमोदित—25, रिक्त पद—17		
		बी०एम०सी०— 05	कार्यरत—5, अनुमोदित—7, रिक्त पद—2		
		बी०सी०एम० — 02	कार्यरत—2, अनुमोदित—7, रिक्त पद—5		
2-3	समाज कल्याण विभाग— आईसीडीएस	कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या— 1620	जिला में कुल अनुमोदित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या— 1774 एवं बंद 154 केन्द्र।		
		कार्यरत सीडीपीओ— 05	जिला में कुल अनुमोदित सीडीपीओ की संख्या— 7 एवं रिक्त पद 02		
		कार्यरत सुपरवाईजर— 40	अनुमोदित पद 52 एवं रिक्त पद 12		
		कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री— 1598	जिला में कुल अनुमोदित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की संख्या— 1774 एवं रिक्त पद 176		
		कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका— 1353	जिला में कुल अनुमोदित आंगनबाड़ी सहायिका की संख्या— 1494 एवं रिक्त पद 141		
2-4	राज्य खाद्य निगम	राज्य खाद्य निगम के द्वारा स्थापित गोदामों की सं०— 14	राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित गोदामों की सं०—12 एवं बाजार समीति द्वारा स्थापित गोदामों की सं०—2		
2-5	शिक्षा विभाग	कुल विद्यालय— 1802	विद्यालय	वर्तमान में संख्या	निर्माण हेतु अनुमोदित
			प्रा०स्कूल की संख्या	822	146
			मा०वि०	592	0
			रा०हा०स्कूल	25	0
			मेडिकल कालेज	1	0
			पालीटेक्निक कालेज	1	0
			संस्कृत उ०वि०	2	0
			हरिजन उ०वि०	1	0
			नवोदय वि०	1	0
			गर्ल्स म०वि०	1	0
			रा०क०उ०वि०	1	0
			प्र०० कुल उ०मा०वि०	4	0
			रा०हा०	17	0

			केन्द्रिय वि०	1	0
		कुल कर्मचारियों की सं०— 9818			
2-6	पंचायती राज विभाग	कुल मुखिया की संख्या— 126			
		कुल सरपंच की संख्या— 126			
		कुल पंचायत समिति की संख्या— 176			
		जिला परिषद सदस्य की संख्या— 18			
		जिला परिषद अध्यक्ष— 01			
2-7	परिवहन विभाग	स्थित हैलीपैड की संख्या— 10			
		ट्रैक्टर— 1642			
		बस— 27			
		मिनी बस— 03			
		जे०सी०बी०— 01			
		एम्बुलेन्स— 04			
2-09	पशुपालन विभाग	मोबाइल टीम— 10			
		चिकित्सक की संख्या— 20			
		चैरा मेडिकल कर्मी— 14			
		बाढ़ / सुखाड़ राहत पशु शिविर केन्द्र — 21			
		बाढ़ / सुखाड़ राहत उपकेन्द्र — 22			
		पशु चिकित्सालय— 11			
		पशु औषधालय— 1			
2-10	जिला आपूर्ति विभाग	सार्वजनिक जन वितरण केन्द्र— 597			
2-11	जिला जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग	जिला में कुल 28 मिडिया के कार्यालय अवस्थित हैं।			
2-12		जिला में सिनेमाघरों की संख्या— 03	1. न्यू इन्डिरा टाकीज किशनगंज 2. मेट्रो टाकीज किशनगंज 3. लक्ष्मी टाकीज ठाकुरगंज		
<b>3. खोज, राहत एवं बचाव</b>					
3-1	पुलिस विभाग	कुल पुलिस बल की संख्या—806			
3-2	अग्निशमन विभाग	कर्मचारी— 25	प्रभारी—01 प्रधान चालक—01 अग्निक सिपाही / चालक—23		
		हीकल पोर्टेबुल पम्प— 04	ठाकुरगंज ए दिघलबैंक, कोचाधामन एवं ठेढ़ागाछ में रखे गये हैं।		
		फायर इंजन— 03	मुख्यालय में 2 बड़ी, 1 छोटी गाड़ी उपलब्ध हैं।		
3-3	आपदा प्रबन्धन विभाग	जिला आपातकालीन परिवालन केन्द्र— 01	समाहरणालय में अवस्थित है।		
		प्रशिक्षित गोताखोर— 10			
		जिले में राहत केन्द्र— 51			
		सार्वजनिक नावे— 127	अंचल स्तर पर उपलब्ध नावे की संख्या निम्न है—		

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. किशनगंज—16 नावें</li> <li>2. कोचाधामन —16 नावें</li> <li>3. बहादुरगंज — 23 नावें</li> <li>4. दिघलबैंक— 17 नावें</li> <li>5. ठाकुरगंज— 19 नावें</li> <li>6. टेढ़ागाछ— 13 नावें</li> <li>7. पोठिया — 23 नावें</li> </ol>
		इनफलैटेब्ल मोटर वोट की संख्या— 12	<p>जिला मुख्यालय एवं अंचल स्तर पर मौजूद इनफलैटेब्ल मोटर वोट की संख्या का विवरण निम्न लिखित है:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिला मुख्यालय— 02</li> <li>2. किशनगंज— 04</li> <li>3. कोचाधामन — 01</li> <li>4. बहादुरगंज — 01</li> <li>5. दिघलबैंक— 01</li> <li>6. ठाकुरगंज— 02</li> <li>7. टेढ़ागाछ— 02</li> <li>8. पोठिया — 02</li> </ol>
		<b>महाजाल— 01</b> <b>लाईफ जैकेट — 74</b>	<b>बहादुरगंज अंचल में रखा गया है।</b> <p>जिला एवं अंचल स्तर पर उपलब्ध लाईफ जैकेट की संख्या का विवरण निम्न लिखित है:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिला मुख्यालय— 00</li> <li>2. किशनगंज— 04</li> <li>3. कोचाधामन — 06</li> <li>4. बहादुरगंज — 26</li> <li>5. दिघलबैंक— 02</li> <li>6. ठाकुरगंज— 22</li> <li>7. टेढ़ागाछ— 02</li> <li>8. पोठिया — 12</li> </ol>
<b>3-4</b>	<b>गृह रक्षक</b>	<b>10</b>	

#### प्रशिक्षित मानव संसाधन की विवरणी—

क्रमांक	मानव संसाधन का विवरण	संख्या
1	प्रशिक्षित गोताखोर	11
2	नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर	05
3	प्रशिक्षित पशु चिकित्सक	07
4	प्रशिक्षित पशुधन सहायक	01
5	प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर मुखिया एवं सरपंच	13
6	जीविका के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर	07
7	प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स पंचायत संसाधन केन्द्र के पदाधिकारी	03
8	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षित अभियंता	56
9	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षित राज्यमिस्त्री	375

## अध्याय : 4— संस्थागत ढाँचा (Institutional Arrangement)


आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की स्थिति का प्रभावी प्रबंधन हो सके, इसके लिए संस्थागत ढाँचा का प्रावधान किया गया है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये संस्थायें राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर चिह्नित की गई हैं। अधिनियम द्वारा सभी संस्थाओं के कार्यकलाप तथा उनको दिये गये कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तदनुसार इसका समयबद्ध क्रियान्वन करने, सभी विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए सामर्थ्यवान संस्थाओं द्वारा जोखिम शमनीकरण, न्यूनीकरण, अवशेष जोखिम के लिए प्रत्युत्तर तथा पुनर्स्थापन इत्यादि कार्य के लिए समग्रता का दृष्टिकोण (Holistic Approach) अपनाया जाना अनिवार्य है। जिस के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, समुदाय आधारित संस्थायें, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के साथ ही बड़े औद्योगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सम्पादित करेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन/विकास कार्यों के सक्रिय संचालन हेतु गांव, ग्राम पंचायत, प्रखण्ड, अंचल, अनुमण्डल एवं जिला एक समेकित प्रशासनिक तंत्र के रूप में गठित है।

### 4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किशनगंज

जिला किशनगंज में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। आपदा प्रबंधन विभाग, पटना, बिहार द्वारा दिनांक—13/6/2008 जारी अधिसूचना पत्रांक संख्या 1 प्रा0आ0— 16/2008/1502 अधिसूचना में वर्णित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए ‘जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण’ का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2), (3), (4), में डी.डी.एम.ए. के सदस्यों का विवरण यथा विर्तिर्दिष्ट है—

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1	जिला पदाधिकारी	पदेन अध्यक्ष
2	अध्यक्ष जिला परिषद	सह-अध्यक्ष
3	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	पदेन सदस्य
5	उप विकास आयुक्त	पदेन सदस्य
6	अपर समाहर्ता-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	पदेन सदस्य
7	जिला के वरीयतम अभियंता	पदेन सदस्य

2. अपर समाहर्ता-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।
3. अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विर्तिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।



### चित्र— डी.डी.एम.ए. किशनगंज का ढांचा

जिला पदाधिकारी ही सभी आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु नित्य कार्वाईयों एवं राहत अनुदान सहायता के लिए जबाबदेह पदाधिकारी होंगे और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिले के सभी विभागों के बीच समन्वयन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान की गयी है। जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जबाबदेह हितभागियों में पुलिस, पैरा मिलिट्री, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक, अनिशमन सेवा, पूर्व सैनिक, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया आदि संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रत्युत्तर, राहत एवं पुनर्वास के लिए जिले में सुव्यवस्थापित सांस्थानिक एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत हैं। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी साबित हुए हैं।

### जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्यः

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4, धारा 30, उपधारा (1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा आधिकथित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :-

- (i) जिले के लिए जिला मोर्चन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा।
- (ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय एवं मानीटर कर सकेगा।
- (iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं।

- (iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उनके प्रभावों के शमन, तैयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकारों के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
- (v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।
- (vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा।
- (vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।
- (viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।
- (ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।
- (x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं को पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो।
- (xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबंधित विभागों या संबंधित प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों की अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निदेश दे सकेगा।
- (xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और समन्वयन कर सकेगा।
- (xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कायक्रमों को सुगम बना सकेगा।
- (xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।
- (xv) जिला स्तर मोचन योजना, और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।
- (xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।
- (xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।
- (xviii) जिला स्तर पर संबंधित सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा।
- (xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों को समन्वयन कर सकेगा।
- (xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और निर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबंधित प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा।

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान करे सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा।

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा।

(xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्सहित कर सकेगा।

(xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है।

(xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं।

#### 4.2 पंचायतें—

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीण विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप-2030 में ‘रेजिलियंट विलेज’ की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर “फर्स्ट रिस्पॉडर” मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम तथा आपदा सह ग्राम/शहर/स्कूल/ अस्पताल इत्यादि की कल्पना से युक्त होंगे। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक इस चेतावनी सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचाने में ये प्रमुख भूमिका वहन करेंगे। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत के सहयोग हेतु (Panchayat Support Functionary) समितियों को आपदा न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर (रिस्पॉस) तथा पुर्नवासन (Recovery) के कार्य में लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायत तदनस्वरूप पंचायती राज अधिनियम में वर्णित सभी छः समितियों का गठन करेंगी ताकि उसके द्वारा पंचायत के अंदर आने वाले गाँवों में उपस्थित जोखिम को न्यून करेंगी एवं उसके द्वारा पंचायत में उपस्थित संसाधन से मानव एवं प्राकृतिक आपदायें का प्रबंधन किया जा सकेगा। इससे आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद में पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगी। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें “मास्टर ट्रेनर्स” बनाया है। पंचायतों से यह अपेक्षा है कि वे प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग कर पंचायती राज को सुदृढ़ संस्थान के रूप में स्थापित करेंगी। जिले में सुदृढ़ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है।

#### **4.3 समुदाय आधारित संगठन :**

- नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)

नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है। आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया। नागरिक सुरक्षा निदेशालय राज्य मुख्यालय में स्थापित है जिसका प्रधान भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी होते हैं जिसे पुलिस महानिरीक्षक—सह—आयुक्त, नागरिक सुरक्षा के पदनाम से जाना जाता है। अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

#### **4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र—सह—आपदा नियंत्रण कक्षः**

आपदाओं के दौरान त्वरीत कार्रवाई करने, समन्वित ढंग से कार्य करने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच सूचनाओं के त्वरित एवं प्रभावी ढंग से आदान—प्रदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किशनगंज जिला अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (DEOC) की स्थापना की गई है तथा इस केन्द्र को विभागीय पत्रांक—1982/आ०प्र०, दिनांक—10.07.2017 के आलोक में इन्हें आवश्यक उपस्कारों/सामाग्रियों से सुसज्जित एवं आधुनिक संचार उपकरणों से लैस की गई है। इस आपातकालीन संचालन केन्द्र से समस्त आपदा प्रबंधन संबंधित गतिविधियों का संचालन करने हेतु इस प्रकार तैयार किया गया है कि ये पूर्णरूपेण 24X7 क्रियाशील रहे तथा इसमें समस्त जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आवश्कतानुसार, आपातकालीन परिस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा कभी भी कार्रवाई हेतु केन्द्र में बुलाया जा सकता है। साथ ही इस केन्द्र में किसी भी आपात स्थिति में जिला पदाधिकारी—सह—इनसिडेंट कमांडर स्वयं पहुँच कर विभिन्न एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक दिशा—निर्देश जारी कर सकते हैं।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष पर किसी भी प्रकार की आकर्षिक स्थिति उत्पन्न होने पर सभी प्रकार के मानक एवं मानदण्डों के अनुरूप प्रक्रिया तथा सामाग्रियाँ सदैव तैयार रहनी चाहिए। कुछ प्राकृतिक आपदाओं जिसकी पूर्व चेतावनी की सूचना संभव होती है उन आपदाओं की पूर्व चेतावनी की सूचना प्राप्त होने पर उस आपदा के अनुरूप आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष अपने जिला पदाधिकारी या अन्य संबंधित पदाधिकारियों को उनके संसाधनों के साथ गतिशील किया गया है।

यह केन्द्र इस प्रकार से विकसित किया है, कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में यह 24X7 (चौबीस घंटे एवं सातों दिन) क्रियाशील रहेगा और समस्त परिस्थितियों में सूचनाओं का संकलन, चेतावनी एवं सूचना के प्रसार हेतु तत्पर रहेगा। वर्तमान में इस आपातकालीन संचालन केन्द्र में 8 घण्टे की रोस्टर पर तीन—तीन कर्मियों को इस प्रकार तैनात किया गया है कि DEOC 24X7 संचालित रहे एवं कर्मियों को देय छुट्टी भी उन्हें दी जा सकें। जिसमें तीन कम्प्यूटर प्रोग्रामर, तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा तीन आई०टी० ब्यॉय हैं, जिनका दायित्व इस प्रकार है:—

- i. **कम्प्यूटर प्रोग्रामर** :— जो DEOC का तकनीकी कार्य, संबंधित विभागों/एजेन्सियों, जिला एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान—प्रदान, प्राप्त आंकड़ों का संकलन, संधारण एवं विश्लेषण का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी भी इनकी होगी।
- ii. **डाटा इन्ट्री ऑपरेटर** :— जो डाटा इन्ट्री का काम करेंगे। साथ ही कम्प्यूटर प्रोग्रामर को उनके कार्यों में सहयोग करेंगे।
- iii. **आई०टी० ब्यॉय** :— जो दूरभाष, फैक्स, फोटो कॉपी आदि का कार्य करेंगे।

**प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र** :— विभागीय पत्र—1982/आ०प्र० दिनांक—10.07.2017 के आलोक में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु उपर्युक्त नौ

कर्मियों के अतिरिक्त एक पदाधिकारी जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। किसी भी आपदा के दौरान आपातकालीन घटना की पूर्ण जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने पर वे इसकी सम्पुष्टि आधिकारिक तौर पर करेंगे तथा इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी एवं राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी को देंगे। DEOC को प्राप्त सूचना एवं घटना का अभिलेखन संबंधित पंजी में दर्ज करायेंगे एवं त्वरीत कार्रवाई हेतु संबंधित को निदेशित करेंगे साथ ही निर्बाद्ध संचालन सुनिश्चित करायेंगे।

**लिपिक :-** विभागीय पत्र-1982/आ०प्र० दिनांक-10.07.2017 के आलोक में कार्यालय कार्य हेतु दो लिपिक के माध्यम से संचिकाएं/अभिलेखों आदि का संधारण एवं रख-रखाव तथा प्रभारी पदाधिकारी, के द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करेंगे।

जब तक प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र एवं लिपिक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तबतक के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से जिला में उपलब्ध किसी वरीय पदाधिकारी को जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी प्रदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करेंगे। इसी प्रकार दो लिपिकों की भी प्रतिनियुक्ति जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में किया जाय, ताकि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को तत्काल प्रभाव से क्रियाशील किया जा सके।

### तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियों का दायित्व :

- जिले में आपदाओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन।
- प्राप्त सूचनाओं का समय-समय पर अद्यतनीकरण।
- प्राप्त सूचना को सूचना रजिस्टर में दर्ज करना, साथ ही संबंधित अधिकारी को उक्त सूचना से अवगत कराते हुए प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं अपर समाहर्ता को भी अवगत कराना।
- प्राप्त सूचना को संबंधित अधिकारी द्वारा वार्ता कर उक्त सूचना के आधार पर की गयी कार्रवाई को सूचना रजिस्टर में दर्ज करना।
- बाढ़/अतिवृष्टि/वज्रपात/शीतलहर/ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/लू (Heatwave)/अगलगी/नाव दुर्घटना/पानी में डुबने की घटना/भूकम्प एवं अन्य आपातकालीन के दौरान निम्न सूचनायें, दर्ज करेंगे तथा प्रभारी पदाधिकारी, DEOC से सत्यापित कराना :-
  - केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी बाढ़ दैनिक प्रतिवेदन के आधार पर नदियों के जल स्तर (बढ़ाव/घटाव/स्थिर) की जानकारी।
  - प्रत्येक अंचल तथा मौसम विभाग वर्षा अभिलेख एवं तापमान अभिलेख।
  - अंचलों द्वारा तैयार किये गए आपदाओं के क्षति का विवरण।
  - प्रभावित ग्राम, ग्राम पंचायत, अंचल एवं अनुमंडल तथा प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) का विवरण।
  - राहत एवं बचाव टीम द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों का विस्तृत विवरण।
  - संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रों का विवरण।
  - प्रत्येक संचालित राहत केन्द्र में आपदा प्रभावित परिवार को सहायता हेतु दिये गये राहत पैकेट, राशन, दवाई, बर्तन, कपड़ा या अन्य का पूर्ण का विवरण।
  - आपदा प्रशाखा एवं अंचलों के भण्डार में स्थित मोटर बोट, सरकारी नाव, निजी नाव, नाविक, गोताखोर, लाईफ जैकेट, रस्सी व कुण्डा एवं महाजाल का पूर्ण विवरण।
  - प्रत्येक अंचल में वितरित सहाय्य राशी का प्रतिवेदन पूर्ण विवरण सहित।

- प्रत्येक दिवस सायंकाल 04:00 बजे अपर समाहर्ता पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी आपदा द्वारा सत्यापित आपदा बुलेटिन (बाढ़, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि, भूकम्प, अगलगी आदि) जारी किया जाना।
- मृतकों/घायलों/लापता व्यक्तियों का विवरण (उम्र, लिंग एवं रोजगार)।

## **जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष में आवश्यक अनिवार्य सुविधायें:**

DEOC/आपदा नियंत्रण कक्ष के अन्तर्गत अबाधित विधुत आपूर्ति, वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीविजन, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर मशीन, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्पर्क विवरण, पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने एवं कार्य संपादन हेतु आवश्यक सामग्री, शौचालय, पेयजल, पर्याप्त स्टेशनरी, डिस्प्ले बोर्ड, टेलीफोन डाइरेक्टी, मानचित्र इत्यादी सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।

### **पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसार प्रक्रिया:**

मौसम विभाग अथवा अन्य विभागों द्वारा संभावित/घटित आपदा से संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर समस्त हितभागियों एवं आम जनता के लिए DEOC से चेतावनी जारी किया जायेगा। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष (अनुमण्डल/प्रखण्ड/अंचल/ग्राम पंचायत), राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र से सीधे जुड़ा होगा।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का प्राथमिक कर्तव्य समय पर सही पूर्व सूचना/चेतावनी जारी करना है। पूर्व सूचना/चेतावनी प्रभावी रूप से जारी करने के लिए जिला आपातकालीन केन्द्र के पास सुनियोजित संचार व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। जिला पदाधिकारी/नामित पदाधिकारी चेतावनी जारी करने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे। निम्नलिखित संस्थाओं/अधिकारीयों को चेतावनी की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये—

- आयुक्त कार्यालय।
- जिला पदाधिकारी कार्यालय।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को।
- अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारियों को।
- अंचल/प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों को।
- पड़ोसी जिलों के जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को।

## **जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष की सामान्य समय में भूमिका**

- आपदा और संवेदनशीलता से संबंधित आंकड़ों व जानकारियों का संकलन तथा सम्बाधित जिला स्तरीय विभागों व हितभागियों के साथ साझा करना तथा आपदा के समय उपर्युक्त को प्रयोग में लाना।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्मित विभिन्न पोर्टलों पर डाटा का अद्यतन करना।
- वेब आधारित तकनीक के आधार पर संसाधनों का प्रबंधन।
- आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधनों के लिए निवेदन करना।
- सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक यंत्र चालू अवस्था में हों।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उचित क्रियान्वन।

### **क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष**

क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष आपदा स्थल के समीप स्थापित किया जायेगा जो जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के साथ जुड़कर काम करेगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी क्षेत्रीय

स्तर पर मुख्य उत्तरदायी होंगे तथा कमांडर इन चीफ की भूमिका में घटनाओं का नियंत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित करेगे।

जिला इन्सिडेंट कमांडर जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के निर्देशानुसार

क्षेत्रीय कमांडर अपने स्थानीय प्रबंधन टीम के सहयोग से समन्वय के साथ कार्य को संचालित करेगा। क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष किसी आपदा के समय ही सक्रिय होगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी आपदा स्थल पर सभी गतिविधिया निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन समस्त कारवाई नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र से नियंत्रित और समन्वित किये जायेंगे। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्रीय नोडल अधिकारी स्थानीय प्रबंधन टीम के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य संचालित करेंगे। क्षेत्रीय नोडल अधिकारी सभी गतिविधियां जिम्मेदारी के साथ निष्पादित करेंगे साथ ही समर्पादित कार्यों से जिला पदाधिकारी/नोडल अधिकारी, आपदा प्रबंधन को अवगत करायेंगे।

### आपदा के अनुसार क्रियाशीलता का स्तर :


**सामान्यतः**: किसी घटना के सम्बन्ध में सूचनाये हमेशा उनके घटने के बाद प्राप्त होती है। बिना किसी पूर्व सूचना के आपदा घटित होने की दशा में स्थानीय पदाधिकारी या जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी को स्थिति के अनुसार सूचित करते हुए जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र या राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचना दी जायेगी। इन आपातकालीन संचालन केन्द्रों द्वारा आवश्यकतानुसार आपदा बचाव दल एवं बचाव सामाग्री आदि की तैनाती की जायेगी। इस संदर्भ में अपने से उच्च अधिकारियों को सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। इस आदान-प्रदान के आधार पर तत्काल कार्ययोजना का निर्माण कर उसका अनुपालन करते हुए घटना के प्रति प्रत्युत्तर कार्रवाई किया जायेगा।

#### 4.4 समन्वय तंत्र (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) :-

पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारण एक सचेत करने का माध्यम होता है जिसको प्रसारित करने के लिए वर्तमान में बहुतायत माध्यम प्रयोग में लाये जाते हैं। पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारण के लिए किशनगंज जिले में बहुतायत स्त्रोतों में से निम्न माध्यमों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे—टेलीफोन, मोबाईल फोन, सेटेलाईट फोन, सोशल मिडिया, ई-मेल, रेडियो, टेलिवीजन, हैण्ड ऑफरेटिंग/इलेक्ट्रॉनिक साइरन, मार्टिकिंग आदि।

उपर्युक्त प्रणाली को सफल एवं प्रभावी करने हेतु समुदाय स्तर पर समुदाय में टास्क फोर्स के लोगों को प्रशिक्षित एवं संगठित करना होगा।

समय से प्राप्त पूर्व सूचना/चेतावनी समुदाय एवं प्रशासन का “लीड टाइम” प्रदान करता है। इसके माध्यम से आपदा प्रभावित समुदाय समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुँच सकते हैं। इस तकनीकी के माध्यम से भारी मात्रा में होने वाले जन-धन की हानी को रोका जा सकता है। पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारन अधिक व्यापक और अन्तिम व्यक्ति तक जुड़ाव वाला होना चाहिए। पूर्व सूचना गुणवत्तापरक, व्यापक और समय से प्रसारित किया जाना चाहिए।



## **अध्यायः५— आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय (Prevention, Mitigation and Preparedness Measures)**

आपदा प्रबंधन व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक टीम अभ्यास है और विभिन्न संस्थानों द्वारा मिलकर बनती है जिसे हम हितभागी समझते हैं। ये हितभागी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष होते हैं। डीआरआर रोड मैप बिहार 2015–2030 में विकास एवं आपदा जोखिम में परस्पर संबंध को गहराह से विश्लेषित किया गया है। यह विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अनुपयुक्त विकास कार्रवाईयों आपदा हेतु जोखिम को बढ़ाती है। इसलिए आपदा प्रबंधन योजनाओं का एक दोहरा लक्ष्य होना चाहिये कि समाज प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें और साथ–साथ विकास के प्रयासों से इन आपदाओं की संवेदनशीलता में वृद्धि न हो। उपरोक्त कथन, आपदा प्रबंधन को विकास से मात्र जोड़ता ही नहीं है, साथ साथ यह भी इंगित करता है कि इनका सही अनुपालन न करना एवं गैर वैज्ञानिक विकास हाल के दिनों में समुदाय की बढ़ती संवेदनशीलता के मुख्य कारण बन रहे हैं। आपदा विकास प्रक्रिया से पूरी तरह जुड़ी हुई रहती हैं एवं यह समाज की एक प्रकार से विकास की प्रणाली ही है, जो आपदाओं का प्रभाव एवं संवेदनशीलता का निर्धारण करती है। चूंकि निर्विवाद रूप से सर्वांगीण आपदा प्रबंधन योजना में विकास प्रणाली का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः आपदा प्रबंधन में विकास एजेन्सियों की भूमिका स्वतः ही उत्तरदायी हो जाती है।

वर्तमान में आपदाओं के बदलते प्रभावों और उनके समाज पर प्रभावी असर को देखते हुए किसी एक मंत्रालय या विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से आपदाओं का सामना करना संभव नहीं है, अतः यह आवश्यक है, कि आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का सामना सभी विभाग/एजेन्सियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मिल–जुल कर किया जाय। इसके अतिरिक्त चूंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण अनिवार्य हो गया है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाने हेतु संगत कार्रवाईयों/गतिविधियों की पहचान आवश्यक है।

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि रोकथाम, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ ही उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में आपदा निवारण, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु विभिन्न हितधारकों के कार्यों की पहचान की गयी है।

## 5.1 विभाग / एजेंसी का विशिष्ट कार्य :—

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए योजना, विनिर्माण कार्यान्वयन तथा समन्वयकर्ता निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। विभिन्न मुख्य कार्यों का दायित्व निम्न प्रकार से होगा :—

विशिष्ट कार्य	जिम्मेवारी
रोकथाम, नियंत्रण और समन्वय	जिलाधिकारी—सह—अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किशनगंज
सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा क्षति आकलन	जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा
संचार	जिला दूरसंचार केन्द्र (सूचना संचरण हेतु)
खोज व बचाव	पुलिस, अग्निशमन बल, परिवहन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
सहाय्य एवं शरण स्थल	जिला प्रशासन, खाद्य आपूर्ति पदा., राजस्व एवं भूमि सुधार
स्वास्थ्य सेवा	जिला स्वास्थ्य समिति
पेयजल एवं स्वच्छता	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
पशु शरणागाह एवं चारा	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज
ऊर्जा आपूर्ति का पुनर्स्थापन	पावर होल्डिंग कम्पनी, बिहार
आधारभूत संरचना का पुनर्स्थापन	पथ निर्माण/ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण एवं पुल निर्माण निगम
शव एवं मलवा निपटान	नगर निगम एवं क्षेत्रीय प्रशासन
जन संपर्क, पूर्व सूचना एवं ई.ओ.सी.मिडिया प्रबंधन	जिला जनसंपर्क कार्यालय (मिडिया को वस्तुस्थिति से अवगत कराना)
कानून एवं व्यवस्था	जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, किशनगंज

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों/संभागो, पंचायतीराज संस्थाएँ, सामुदायिक स्तर की संस्थाएँ तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियाँ भी उपरोक्त कार्यों में सहयोग दे सकेंगी। इन कार्यों में पंचायत ग्रामीण स्तर की चुनी हुई संस्था है, अतः जोखिम को रोकने, कम करने या पूर्व की तैयारी में विशेष जिम्मेवारी निर्वहन करना पड़ सकता है।

## 5.2 सभी विभागों एवं एजेंसियों के लिए कार्य :—

सभी संबंधित विभाग/संभाग आपदा जोखिम विषय पर समझ विकसित करेंगे तथा प्रशासन प्रणाली को सशक्त करेंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों तथा प्रभावी रिस्पॉस आदि विषयों को ध्यान में रखकर इस योजना हेतु कार्रवाही करेंगे।

### 5.3 विभागों/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य:

**1. बाढ़:-**

क्र०	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जल संसाधन विभाग (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल)	<ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण।</li> <li>पूर्व से निर्मित किन्तु क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन।</li> <li>संभावित जल जमाव वाले क्षेत्रों में जल निस्सरण योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आपदा पूर्व संभावित बाढ़ की चेतावनी का प्रसारण।</li> <li>नदियों के जलग्रहण क्षेत्र से काफी अधिक मात्रा में, बाढ़ के पानी के साथ आने वाले गाद को हटाने की व्यवस्था।</li> <li>उपरोक्त के आक्राम्य स्थलों को चिह्नित करना। क्षतिग्रस्त होने वाले संभावित जगहों को शीघ्रता से तत्परता पूर्वक समुचित संरचनाओं का निर्माण।</li> <li>बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लोगों के बीच बाढ़ से बचाव के संबंध में आवश्यक सलाह /जानकारी का प्रचार – प्रसार।</li> <li>रेलवे तथा सड़क में बने हुए छोटे पुल-पुलिया के स्थल पर हो रहे जल जमाव की त्वरित निकासी की व्यवस्था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>संभावित बाढ़ के संबंध में जारी निर्देशिका के आलोक में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना।</li> <li>अन्य बांध, नहरों, नालों, तलाबों आदि पर अतिक्रमण हटाना, इनकी साफ-सफाई करना तथा समय से पूर्व इनकी मरम्मति करा लेना।</li> <li>बाढ़ प्रबंधन कैलेन्डर का निर्माण।</li> <li>वर्षा ऋतु में नदियों के जलश्राव निगरानी हेतु 'रिवर गेज' की स्थापना, दैनिक जलश्राव निगरानी तथा बाढ़ का पूर्वानुमान।</li> <li>आपदा पूर्व चेतावनी प्रसारित करने हेतु सूचना तंत्र का विकास एवं नियोजन।</li> <li>संभावित बाढ़ के दौरान इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्रीयों का चिह्नित स्थलों पर भंडारण।</li> <li>हेली पैड स्थल की अवस्थिति तय करना।</li> <li>शरण स्थल का चयन।</li> </ul>
2	भूमि सुधार एवं राजस्व			
3	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>"फलड़ प्लेन जोनिंग" करने के उपरांत नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण एवं लोगों को बसने से रोकने के लिए समुचित अधिनियम बनाना एवं लागू करना।</li> <li>समस्त स्थानीय नावों का परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन।</li> <li>जिला का सम्बन्धित विभागों के सहयोग से</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ ग्रस्त जोन में प्राथमिकता के आधार पर आयरन रिमूवल उँचे हैण्ड पम्प, उँचे शौचालय, स्नानघर, मानव एवं पशु हेतु सभी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित उँचे शरण स्थल का निर्माण।</li> <li>जिला आपदा प्रबंधन योजना में बाढ़ से जुड़े शमनीकरण तथा न्यूनीकरण कार्य योजना का अनुश्रवण।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ आपदा प्रबंधन को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभिन्न स्तरों पर हितभागियों का प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन।</li> <li>बाढ़ राहत प्रकोष्ठ का गठन एवं सदस्यों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना।</li> <li>बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का संचालन।</li> </ul>

		<p>प्रकोप, नाजुकता तथा जोखिम मानचित्र तैयार करना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पंचायत स्तर पर की जा रही न्यूनीकरण की गतिविधियों का अनुश्रवण करना। पंचायतीराज प्रतिनिधियों तथा बाढ़ राहत बचाव प्रशिक्षण।</li> <li>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को लेवल 3 डिजास्टर को ध्यान में रखते वर्तमान सुविधाओं से लैश करते हुए स्थापित करना—रिवर वाटर लेवल डिस्प्ले बोर्ड, लैण्ड लाइन टेलीफोन, समस्त आवश्यक मानचित्र तथा कम्प्यूटर एवं हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा।</li> <li>बाढ़ प्रवण पंचायतों की सूची तैयार करना। ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर बाढ़ जोखिम विश्लेषण। बाढ़ प्रवण पंचायतों की अपनी बाढ़ प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अनुसोदन।</li> </ul>	
4.	शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम को स्कूल स्तर पर आयोजन करना।</li> <li>आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदा कैलेण्डर के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से मौसम के पूर्व बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास करना।</li> <li>आपदा के परिप्रेक्ष्य में स्कूल/विद्यालय का वार्षिक सुरक्षा आडिट कराना तथा आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए उस हेतु संवेदनशीलता सूची तैयार करने के साथ—साथ मानचित्र तैयार करना।</li> <li>“स्कूल आपदा प्रबंधन योजना” निर्माण करना तथा समय—समय पर अद्तनीकरण हेतु स्कूल मैनेजमेण्ट कमेटी को प्रोत्साहित करना।</li> <li>क्षेत्रीय आपदाओं को ध्यान में रखते हुए</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मनरेगा योजना से जुड़ाव कर बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र से पहले से बने विद्यालयों को ऊँचा करना। उक्त का प्राविधान मनरेगा योजना से जुड़ाव स्थापित कर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय तक जाने वाले पहुँच मार्गों को ऊँचा व पक्का करना।</li> <li>प्रशासन के सहयोग से कुछ छात्रों/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्वयं सेवक के रूप में आपदा के समय काम करने वाली टीम के रूप में गठन करना चाहिए।</li> <li>यह सुनिश्चित करना कि दूर संचार के समस्त माध्यम सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं और आगे भी कार्य करने की स्थिति में है।</li> <li>बाढ़/जल—जमाव वाले क्षेत्र में स्कूल भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करना।</li> <li>रिलीफ व रेस्क्यू टीम की मदद करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक स्तर के विशेषकर प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा मानचित्र पर उनकी अवस्थिति दर्शाना।</li> <li>सभी स्कूलों में स्कूल आपदा प्रबंधन योजना एवं स्कूल आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से करना।</li> <li>बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल में स्थित जलस्रोतों (चापाकल या टोटी) का ऊँचीकरण तथा जल संक्रमण हेतु प्रावधान सुनिश्चित करना।</li> <li>बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में लाइफसेविंग जैकेट तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।</li> <li>आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, विद्यालय के संसाधनों, वहां के स्टाफ व उनके सम्पर्क नं० की सूची को पहले से ही तैयार करना ताकि आपदा के समय उनसे</li> </ul>

	<p>विकास योजनाओं का निर्माण।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आपदा के दौरान मिली सीख को भविष्य की योजना में समाहित करना।</li> <li>नये विकास कार्यक्रमों को भी डी.आर.आर. से जोड़ना।</li> </ul> <p><b>बाढ़ प्रवण पंचायतों में:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का निर्माण बाढ़ ग्रस्त जमीन पर नहीं कराना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रिकवरी योजनाओं को लागू करने में सहयोग करना।</li> <li>क्षति आकलन व रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करने में सहयोग करना।</li> <li>जिला में जल्द से जल्द सामान्य शिक्षा की बहाली सुनिश्चित करना।</li> <li>बच्चों/शिक्षकों को उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक मदद सुनिश्चित कराना।</li> <li>बाढ़ आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों व पहुंच मार्गों का बाढ़रोधी तकनीक से मरम्मत/पुनर्निर्माण कराना।</li> <li>सभी स्कूलों द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में बाढ़ आपदा एवं उससे बचाव सम्बन्धी जानकारियों शामिल करना।</li> <li><b>बाढ़ प्रवण पंचायतों में :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इस हेतु विद्यालयों में तैराक सह प्रशिक्षक तैयार करना।</li> <li>विद्यालयों में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।</li> <li>बाढ़ से बचाव एवं बाढ़ जनित बीमारियों से बचाव हेतु छात्र-छात्राओं को जानकारी देना।</li> <li>जन – जागरूकता द्वारा निशेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना जैसे बाढ़ के पानी के प्रयोग से बचना, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास नहीं जाने देना, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी उपर्युक्त रोकथाम गतिविधियों के अनुपालन पर बल देना।</li> </ul> </li> </ul>	<p>सम्पर्क करने में परेशानी न हो।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ प्रभावित घरों के बच्चों के लिए पुस्तक एवं पोशाक की पुनः व्यवस्था सुनिश्चित करना।</li> <li>बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ कैलेण्डर के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से मौसम के पूर्व बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास कराना।</li> <li>बाढ़ प्रवण पंचायतों में राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल भवनों को चिह्नित कर रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन।</li> <li>विद्यालय में आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार के दलों का गठन करना, जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण-स्थल निगरानी दल, बाढ़ प्रत्युत्तर दल तथा इनके नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।</li> </ul>
5	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन	<p>सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में बाढ़ आपदा प्रबंधन को समेकित ढंग से शामिल करना।</p>	बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुंच पथ की जानकारी

6	सडक निर्माण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>आपदाओं विशेषकर मानसून से पूर्व क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना सुनिश्चित करना।</li> <li>आवागमन व्यवस्था जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना।</li> <li>मुख्य सड़क में बने दरार (Breaches) एवं सड़क के गड्ढे की भराई सुनिश्चित करना।</li> <li>सड़कों पर दुर्घटना बाहुल्य (Black spot) क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना एवं सचेतक बोर्ड स्थापित करना।</li> <li>क्षतिग्रस्त सड़कों की त्वरित स्थानीय संसाधनों के माध्यम से मरम्मत सुनिश्चित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के लिए नियोजन व बजट की व्यवस्था करना।</li> <li>सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर आम जनमानस को जीवन रक्षा के सन्दर्भ एवं यातायात के नियम पर जागरूक करना।</li> <li>बाढ़ के दौरान लिंक रोड के क्षति की जानकारी प्राप्त करना तथा अर्ली रिकवरी हेतु योजना के क्रियान्वयन पर कार्रवाई सम्पादन सुनिश्चित करना।</li> <li>बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित सड़क पुर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी सड़क बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BSDRN वेबसाइट के अनुसार विभाग में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा आई0आर0डी0एन0 वेबसाइट को अपडेट किया जाना।</li> <li>बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न सुरक्षित वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना तथा इसका मानचित्र तैयार करना।</li> <li>निजी व्यक्तियों/वेण्डरों के साथ समन्वयन बैठक कर उनके पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का मानचित्रण करना।</li> <li>आवश्यक स्थलों पर 'कलवर्ट' का निर्माण कर यातायात चालू करवाना।</li> </ul>
7	स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करना।</li> <li>टी.वी., रेडियो, समाचार एवं अन्य प्रचार माध्यमों से जन-समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना।</li> <li>सर्पदंश के प्राथमिक उपचार पर समुदाय में व्यापक जन-जागरूकता का आयोजन।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिंचिंग पावडर इत्यादि का वितरण एवं भंडारण।</li> <li>चलन्त चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा उपलब्ध कराना।</li> <li>आपूर्ति की जा रही दवा एवं खाद्य पदार्थ के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।</li> <li>प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस के साथ-साथ चिकित्सकों का नियोजन।</li> <li>एन0डी0एम0ए० द्वारा विकसित की गयी इमरजेंसी हॉस्पिटल मैनेजमेण्ट मार्गदर्शिका का अनुपालन करते हुए जिला स्तर पर योजना तैयार करना।</li> <li>ग्राम स्तर पर प्राथमिक उपचार दल का गठन एवं नियमित प्रशिक्षण।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना।</li> <li>फर्स्ट एड कीट तैयार रखना।</li> <li>बाढ़ प्रवण इलाकों में सुरक्षित खानपान तथा स्वच्छता के संबंध में स्थानीय नसीं तथा आशा कार्यकर्ता के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।</li> <li>पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिंचिंग पावडर इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण।</li> <li>विभिन्न बीमारियों से जुड़े टीके लगाने की पूर्व तैयारी रखना।</li> <li>आशा कार्यकर्ता/ए.एन.एम. का प्रशिक्षण ताकि, राहत शिविर में सभावित प्रसव कार्य सुरक्षित एवं सुगम हो।</li> </ul>
8	खाद्य एवं आपूर्ति	सभी गोदामों में अनाज हेतु एस0एफ0सी0 द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जाना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>नये गोदामों का निर्माण ऊँचे स्थान पर किया जा रहा है।</li> <li>सभी गोदामों में प्रति माह आवश्यकतानुसार</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>नवीन गोदामों, विभाग से संबंधित निर्मित होने वाले भवनों आदि को ऊँचे एवं सुरक्षित स्थानों पर निर्माण हेतु संबंधित विभाग से</li> </ul>

			<p>खाद्यान्न उपलब्ध कराना।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का ऑकलन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार आवश्यक मात्रा में अनाज खरीद सुनिश्चित करना।</li> <li>यह सुनिश्चित करना कि सभी गोदाम, कार्यालय बाढ़ आपदा से बचाव हेतु ऊचे स्थानों पर स्थित हों।</li> <li>बाढ़ प्रवण पंचायतों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भण्डारण कर लेना।</li> <li>बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।</li> </ul>	
9	पंचायती राज	<ul style="list-style-type: none"> <li>पंचायत के विकास कार्यों में आपदा प्रबंधन को समाहित करना।</li> <li>सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर सिंचाई के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।</li> <li>समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम आपदा प्रबंधन कमेटी को सक्रिय करना।</li> <li>समस्त ग्राम पंचायत ग्राम आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ आपदा के दौरान समुदाय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डूब क्षेत्र में पड़ने वाले हैण्डपम्पों को विनिहित कर सम्बन्धित विभाग के सहयोग से हैण्डपम्पों का ऊँचीकरण करवाना।</li> <li>सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आपदा के दौरान उपयोग करने हेतु महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।</li> <li>बाढ़ को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन योजना बनाना।</li> <li>समुदाय को बाढ़ आपदा प्रबंधन की प्रशिक्षण देकर जागरूक करना।</li> </ul>	
10	कृषि	<ul style="list-style-type: none"> <li>तीव्र वर्षा के कारण होने वाले मृदा अपरदन से बचाव के लिए ऊँचाई के अनुसार जुताई, मेडबन्दी, मेड़ों पर पौधरोपण, पशुचारा में काम आने वाले पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित करना।</li> <li>फसल बीमा एवं गृहवाटिका को प्रोत्साहन।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>नहर प्रणाली से सिंचाई सुनिश्चित करना।</li> <li>बाढ़ प्रभावित क्षेत्र/जल बहाव व आंधी तूफान क्षेत्र में जकड़ा एवं गहरी मजबूत मूसला जड़ वाले फसलों व बाग-बागीचों को बढ़ावा देना।</li> <li>कम लागत की खेती के लिए विभिन्न विधाओं जैसे समय एवं स्थान प्रबंधन, मिश्रित खेती,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ प्रवण पंचायतों के लिए वैकल्पिक कृषि से संबंधित SOP तैयार करना।</li> <li>क्षेत्रों में जहाँ जल जमाव की संभावना हो वहाँ जल सह पौधों जैसे धैचा, ईख आदि फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करना।</li> </ul>

			बीज संरक्षण, बहुस्तरीय खेती तथा कम्पोस्टिंग आदि तकनीक को बढ़ावा देना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधिकाधिक क्षेत्रों में गरमा फसल उगाने को प्रेरित करना।</li> <li>अत्यधिक नमी तथा कम समय में उगाने वाले चारे व फसल के बीज का भण्डारण।</li> <li>धान की वह प्रजाति जिसके पानी में कुछ दिन डुबे रहने पर भी उत्पादन में कमी नहीं होती है, का प्रचार-प्रसार एवं प्रत्यक्षण करना तथा बाढ़ प्रवण खेतों में इसे उगाने पर बल देना।</li> </ul>
11	जिला पशुपालन कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी पशुओं को खुरपका व मुंहपका तथा अन्य रोगों से संबंधित टीकाकरण को सुनिश्चित करना।</li> <li>पशु चिकित्सक एवं सहायकों को बाढ़ में होने वाले पशुरोग एवं रोकथाम का प्रशिक्षण देना।</li> <li>पशुधन की बाढ़ से सुरक्षा हेतु लोगों में जागरूकता अभियान चलाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पशु बीमा को प्रोत्साहन।</li> <li>बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों के बचाव हेतु 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौड़ा ऊँचे प्लेटफार्म का निर्माण जहाँ चारा भण्डारण, पानी का संसाधन तथा गोबर इकट्ठा करने का प्रावधान सहित।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ प्रवण पंचायतों में चारे का पर्याप्त भण्डारण करना।</li> <li>पशुओं के लिए पशु शरण-स्थल चिन्हित करना।</li> <li>मत्स्य पालन क्षेत्र में चारे तरफ से ऊँची जाली लगाकर धेर देना, ताकि मछली के बाहर बह जाने से रोका जा सके।</li> </ul>
12	परिवहन		<ul style="list-style-type: none"> <li>नाव परिचालन से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू कराना।</li> <li>राज्य प्राधिकरण द्वारा नाविकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान का संचालन करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ प्रवण पंचायतों में नियोजन हेतु पर्याप्त संख्या में नाव तथा नाविकों का सूचिकरण।</li> </ul>
13	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/क्लोरीन की टिकिया की आपूर्ति एवं इसके उपयोग विधि की जानकारी लोगों को कराना।</li> <li>प्रभावित क्षेत्रों में काफी संख्या में चापाकलों लगाना तथा मरम्मति के कार्य करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/क्लोरीन की टिकिया की आपूर्ति एवं समुचित भंडारण।</li> </ul>
14	एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. एवं जिला जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>नागरिक सुरक्षा दल का गठन।</li> <li>बाढ़ प्रवण पंचायतों में गठित प्रत्युत्तर दलों का प्रशिक्षण।</li> <li>मॉकड्रिल का आयोजन करना।</li> <li>बाढ़ प्रवण पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण।</li> </ul>
15	केन्द्रीय जल आयोग/	समय-समय पर मौसम का जानकारी देना		<ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना सार्वजनिक तौर</li> </ul>

मौसम विभाग				पर संप्रेषित करना।
------------	--	--	--	--------------------

## 2. गर्मी-लू/शीतलहर / ठनका

क्रो	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<p><b>(क) गर्मी-लू</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्कूल/कॉलेज तथा सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना।</li> <li>बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिवर्तन करना। गंभीर लू की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना।</li> <li>मनरेगा के कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना।</li> </ul> <p><b>(ख) शीतलहर</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिवर्तन करना। गंभीर शीतलहर की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना।</li> </ul> <p><b>(ग) ठनका –</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऊँचे भवनों में तड़ित चालक लगाना एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी गाइड लाइन के बारे में आम जनमानस को जागरूक करना।</li> <li>इन्ड्रवज्र मोबाइल अप (Mobile App) का उपयोग के बारे में प्रचार-प्रसार करना।</li> </ul>	<p><b>(क) गर्मी-लू</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बाजार/रेलवे स्टेशन/बस अडडा इत्यादि जगहों पर प्याउ की व्यवस्था।</li> </ul> <p><b>निम्नांकित सुझाव का व्यापक प्रचार-प्रसार-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यदि बाहर निकलना आवश्यक ही हो तो खाली पेट कभी नहीं निकले।</li> <li>पानी पी कर एवं सिर को पूरी तरह ढक कर निकले।</li> <li>गर्म हवा से हमेशा अपने को बचा कर रखें।</li> <li>पीने का पानी लेकर चले तथा निर्जलीकरण से बचें।</li> <li>फेसमास्क का प्रयोग जरूर करें।</li> </ul> <p><b>(ख) शीतलहर</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>शरीर को बाहरी स्त्रोतों से गर्म रखना, धूप खिलने पर धूप का सेवन।</li> <li>सार्वजनिक स्थल पर सोने वाले गृह विहीन लोग तथा रैन बसेरा, टमटम पड़ाव, रिक्शा पड़ाव, मुसाफिरखाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि के निकट कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था करना।</li> <li>खुले आकाश के नीचे रात्रि विश्राम करने वाले गृह विहीन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बिछाने व ओढ़ने के लिए कम्बल उपलब्ध कराना।</li> </ul> <p><b>(ग) ठनका –</b></p> <p>वज्रपात से बचने हेतु क्या करें और क्या न करें से संबंधित सुझाव प्रचारित करना।</p>	<p><b>(क) गर्मी-लू</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मौसम पूर्वानुमान की घोषणा का संज्ञान लेना।</li> <li>पहनने के सूती कपड़ों का यथा संभव उपयोग तथा गर्म एवं ताजा खाना खाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।</li> </ul> <p><b>(ख) शीतलहर</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>अलाव की व्यवस्था रखना।</li> <li>जाड़े से बचाव हेतु गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना।</li> <li>शीतलहर के प्रभाव एवं उपायों तथा उपबन्धों की जानकारी से लोगों को अवगत कराना।</li> <li>मरीजों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना।</li> </ul> <p><b>(ग) ठनका –</b></p> <p>वज्रपात से बचने हेतु क्या करें और क्या न करें से संबंधित सुझाव प्रचारित करना।</p>

		(ग) ठनका –	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ठनका की आंशका वाले मौसम में ऊँचे वृक्ष, बिजली का खम्भा, टावर इत्यादि के नीचे शरण लेने से रोकना।</li> <li>● ठनका की संभावना के महेनजर मोबाईल अथवा बिजली के उपकरण के प्रयोग से परहेज की सलाह देना।</li> <li>● घर के खिड़की दरवाजे एवं वृक्ष के बीच धातु के तार जोड़ रखने से मना करना।</li> <li>● ठनका की आंशका वाले मौसम में नदी/नहर/तालाब से बाहर रहने की सलाह देना।</li> </ul>	

### 3. अग्निकाण्ड

क्र०	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य		न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
		1	2	3	4
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन।</li> <li>● राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।</li> <li>● रोकथाम की कार्रवाई के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाने, दूरदर्शन एवं रेडियो से जिला स्तर से सुझाव/सलाह का प्रसारण कराना तथा बिहार गृह रक्षावाहिनी का मुख्यालय पटना के पत्रांक 1042 दिनांक 02.03.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना।</li> <li>● अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़ी एक चेक लिस्ट तैयार करना।</li> <li>● इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आपात्कालीन संचालन केन्द्र को आधुनिक संचार संसाधनों से युक्त करना।</li> <li>● अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़े एक चेक लिस्ट तैयार करना।</li> <li>● इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना।</li> <li>● अग्नि से जुड़ी तकनीकों एवं बचाव उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण- पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तरीय कर्मी, स्वयंसेवकों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का, अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसे गतिविधियों का नियमित</li> </ul>	

				आयोजन करना।
2	अग्निशमन सेवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>बहुमंजली इमारतों एवं कार्यालयों में अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था से युक्त नक्शे के आधार पर हीं निर्माण की अनुमति देना।</li> <li>जिले में महत्वपूर्ण भवनों का अग्निशमन योजना तैयार करना तथा समय—समय पर इसे मॉकड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण करना।</li> <li>अग्निशमन कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना।</li> <li>लोंगों के लिए अग्नि से बचाव हेतु जन जागरूकता के कार्य करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला, अनुमंडल एवं थाना स्तर पर स्थापित अग्निशमन केन्द्र के टेलीफोन तथा मोबाइल नं., सार्वजनिक करना।</li> <li>अपने अग्निशमन वाहन को आवश्यक सामग्री से हर दम लैश रखना एवं प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को हमेशा तैयार रखना।</li> <li>अग्नि प्रवण क्षेत्र के सड़कों का अद्यतन नक्शा रखना, उनसे पूरी तरह परिचित होना तथा उनका नियमित अवलोकन करना।</li> <li>अग्निशमन के आधुनिकतम यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।</li> </ul>	
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में प्रत्येक 2 कि.मी. पर हाईड्रेन्ट निर्माण संबंधी राज्य सरकार का संकल्प कारगर हो। (पत्रांक 6554 दिनांक 24.12.2015 राज्य अग्निशमन पदाधिकारी—सह—निदेशक)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रति 2 कि.मी. पर एक हाईड्रेन्ट को क्रियाशील रखना। संबंधित राज्यादेश खंड—2 के अनुलग्नक—54 पर संधारित है।</li> <li>पर्याप्त संख्या में बड़े व्यास वाले नलकूप निर्माण की योजना बनाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>नलकूप में अग्निशमन के लिए बनी गाड़ियों में जल भरने की युक्ति को लगाना।</li> </ul>
4	शिक्षा विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्यालयों के भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रबन्ध करना।</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।</li> <li>सामुदायिक जागरूकता के अन्य कार्य करना।</li> </ul>
5	भवन निर्माण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>बिहार फायर रॉल्स 2014 का अनुपालन।</li> <li>राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन।</li> <li>विभिन्न प्रकार के अस्पतालों, बैंकों, रक्त अधिकोषों तथा संवेदनशील कार्यालयों के भवनों को अग्निरोधी बनाने युक्त नक्शे के आधार पर ही निर्माण की अनुमति देना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्निकांडों से सबक लेकर सुरक्षा संबंधी निर्देशों में समय—समय पर आवश्यक सुधार करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>भवन निर्माण में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग एवं भंडारण को हतोत्साहित करना।</li> </ul>
6	पंचायती राज विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>आहर पोखर, पईन के पहुँच पथ को चौड़ा करते हुए अतिक्रमण मुक्त करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण भवनों/झोपड़ियों के निर्माण में अग्निशमन तकनीक के प्रयोग पर ध्यान देना। झोपड़ियों के निचले हिस्से तथा दीपक</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>गाँवों के भवन/झोपड़ियों के निर्माण के बीच स्थान जरूर हो ताकि वहाँ तक अग्नि की स्थिति में पहुँच आसान हो सके।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्नि सह मकान बनाने की तकनीक को अपनी पंचायत की भावी योजना में समाहित करना।</li> <li>अग्नि से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रखने की जगह पर मिट्टी लेपन करना।</li> <li>गर्मी के महीनों में अग्निकांड से बचाव हेतु खाना बनाने के समय में बदलाव। सार्वजनिक कार्यों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य बातों पर पंचायत द्वारा ग्रामीणों को सचेत करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>गाँवों में पोखरे, आहर, पईन, ताल तलैया, कुएँ आदि जल स्रोतों को बनायें रखना, उनकी उड़ाही करा कर तैयार रखना।</li> <li>अग्नि से संबंधित जन जागरूकता के कार्य चलाना।</li> <li>ग्राम स्तर पर अग्निशमन सामग्री यथा जलस्रोत, पंपिंग सेट, हौस पाईप, नोजल, लंबी सीढ़ी आदि की उपलब्धता को सूचिबद्ध करना।</li> </ul>
7	नगर निकाय		<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्निकाण्ड से बचाव के विभिन्न उपायों को दीवारों पर जन जागरूकता हेतु पेटिंग/पोस्टर आदि बनवाना/लगाना।</li> <li>वैसे भवनों के निर्माण का नक्शा पारित करना जो पर्याप्त या निर्धारित चौड़ाई वाली सड़कों पर हो ताकि अग्निशमन वाहन वहाँ पहुँच सके।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>घनी आबादी के बीच गुजरने वाली सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना।</li> <li>विभिन्न जगहों पर बड़े व्यास वाले नलकूपों को लगाना।</li> </ul>
8	स्वास्थ्य विभाग			<ul style="list-style-type: none"> <li>अस्पतालों की सूची, उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण तथा सभी पहुँच पथ की जानकारी स्थानीय अग्निशमन कार्यालय/थाना को उपलब्ध कराना।</li> <li>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडल तथा सदर अस्पतालों में विशिष्ट सुविधा युक्त “बर्न यूनिट” की स्थापना।</li> <li>एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त रखना।</li> </ul>
9	पशुपालन			<ul style="list-style-type: none"> <li>पालतू पशुओं को अग्निकांड से सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना।</li> <li>अग्निकांड से पीड़ित पशुओं के लिए दवाई आदि का समूचित भंडारण करना।</li> </ul>

#### 4. चक्रवाती तूफान/ऑर्धी/ओलावृष्टि : -

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	विद्युत विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्युतीय संरचनाओं के समीप के वृक्ष की टहनी की कटायी-छंटायी करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वितरण संयंत्रों की शीघ्रतम मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति को शीघ्रता से चालू करने की</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>समस्त अंचलों के जर्जर एवं झुलते तार को बदलना तथा उनका सुदृढ़ीकरण करना।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्युतीय दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति अथवा रोकथाम हेतु सामान्य समय एवं आपदा के समय जनता के सहयोग के लिये जागरूकता अभियान संचालित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजना, जिससे महत्वपूर्ण संस्थान यथा अस्पताल, स्कूल, टेलिविजन केन्द्र, जल आपूर्ति, दूरसंचार, प्रशासनिक संस्थान इत्यादि कार्यरत रह सके।</li> <li>आवश्यकतानुसार बिजली तड़ित चालक को स्थापित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>हाईड्रोलिक वाहन एवं अन्य संसाधन को किसी आकस्मिक हेतु सदैव तैयार रखना।</li> <li>प्रमण्डल स्तरीय/शक्ति उपकेन्द्रों में 24X7 कार्यरत नियन्त्रण कक्ष का सतर्कता से संचालन।</li> </ul>
2	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण इलाकों में विशेष तरह के ढाल वाली छतें तथा बाँस वाली सरचनाओं के निर्माण कार्य में विशेष सावधानियाँ बरतने की जरूरत होगी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मौसम विभाग से प्राप्त चक्रवाती तूफान/ औंधी/ ओलावृष्टि संबंधी पूर्व सूचना को प्रचारित-प्रसारित तथा सभी हितभागियों को सचेत करना।</li> <li>सार्वजनिक रथलों पर मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करते रहना।</li> <li>गाँव के स्तर पर औंधी, तूफान से संबंधित जोखिम का विश्लेषण करना। विश्लेषण में गाँव के स्तर पर संयोगशील समुदाय तथा हितभागियों को भी शामिल करना एवं सचेत करना।</li> <li>सरकार द्वारा जारी advisory (सलाहकारी) का प्रचार-प्रसार करना।</li> <li>ग्राम स्तर के सरकारी कर्मी, सिविल सोसायटी कर्मी आदि को प्रशिक्षित करना।</li> </ul>
3	स्वास्थ्य विभाग			<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रभावित इलाके के ट्रॉमा सेन्टर सहित सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को तैयार होकर 24x7 रहने का आदेश देना।</li> <li>आस-पास के सभी ब्लड बैंक जाँच केन्द्र को सतत सतर्क रहने हेतु निर्देश देना।</li> </ul>

## 5. सूखाड़

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	कृषि विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>झीप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देना।</li> <li>सूखारोधी एवं कम सिंचाई वाली फसलों को</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वैकल्पिक खेती हेतु भण्डारित बीज को संसमय कृषकों के बीच पर्याप्त मात्रा में</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखे की आशंका बढ़ जाती है ऐसे समय में</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>लगाने को प्रोत्साहन देना।</li> <li>भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु चेक डैम, जल छाजन तथा जैविक खाद बनाने हेतु योजना का निरूपण एवं क्रियान्वयन।</li> <li>प्रगतिशील कृषक मंच का गठन कर इसके माध्यम से सूखा अथवा जलवायु परिवर्तन आधारित कृषि (Climate Resilient Agriculture) को प्रोत्साहित किया जाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वितरित करना।</li> <li>सूखे की वृद्धि से आकस्मिक फसल योजना का निर्माण। सूखा/कम वर्षा/कम जल आधारित फसल का चयन तथा उनका प्रचार-प्रसार।</li> <li>कीड़ों से बचाव के उपाय करना।</li> <li>चारे से जुड़ी फसलों को लगाने को प्रोत्साहित करना।</li> <li>चेक लिस्ट के आधार पर शमनीकरण तथा न्यूनीकरण के उपाय का निर्धारण करना तथा हितधारकों को इससे अवगत कराना।</li> <li>प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान से विकसित तकनीकों का उपयोग खेतों में करना।</li> <li>सूखे की स्थिति में कृषि डीजल अनुदान देना तथा लोन, मालगुजारी, सिंचाई एवं बिजली रकम अदा करने पर तात्कालिक रोक लगाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए समय-समय पर हितधारकों को कृषि कार्य संबंधी दिशा निर्देश देने हेतु चेक लिस्ट विकसित करना।</li> <li>जिला आपदा प्रबंधन योजना में सूखे से जुड़े शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन।</li> <li>उत्कृष्ट जल प्रबंधन हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। इसके लिए कैलेण्डर, बुकलेट, पोस्टर, दीवार पेन्टिंग, होर्डिंग, अखबार, रेडियो संदेश, टेलीविजन आदि को माध्यम बनाया जा सकता है।</li> <li>कृषि संयंत्र, खाद, उपचारित बीज आदि का संरक्षण एवं भंडारण।</li> <li>वैकल्पिक पशुचारा उत्पादन योजना का निरूपण करना।</li> <li>सूखा एवं जलवाय परिवर्तन के अनुरूप विभिन्न फसलों के लिए अनुसंधान तथा कृषक प्रशिक्षण।</li> </ul>
2	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		<ul style="list-style-type: none"> <li>सूखा टास्क फोर्स का गठन एवं विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना।</li> <li>मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सभी हितधारकों तक पहुँचाना।</li> <li>फसल क्षति बीमा योजना में शामिल होने हेतु बढ़ावा देना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत/प्रखंड स्तर पर प्रभावित किसानों एवं ग्रामीण हितधारकों से सम्पर्क कर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे/होने वाले जोखिम के प्रति सचेत एवं जागरूक करना।</li> <li>सूखा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन।</li> <li>सूखाड़ प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर रखना।</li> </ul>
3	जिला पंचायती राज विभाग/ जिला परिषद्/ पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> <li>समुदाय द्वारा उपयोग के बाद अवशिष्ट जल के पुनरुत्पयोग पर बल देना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न रोजगारोंनुस्ख सरकारी योजना गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>तालाबों, नहरों आदि की खुदाई/साफ कराना/सुरक्षित रखना।</li> <li>सभी पैक्सों में वर्षा ऋतु के पहले अनाज का भंडारण करके रखना।</li> <li>पर्यावरण सुरक्षा एवं हरियाली हेतु</li> </ul>

				जागरूकता अभियान चलाना।
4	जल संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>जल वितरण नियंत्रण एवं सभी सिंचाई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।</li> <li>जल संसाधन के खुले भण्डारों पर सौर उर्जा संयंत्र लगा कर यथासम्भव जल वाष्पीकरण को रोकना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिंचाई नहरों के माध्यम से खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुँचाने के लिए जलवाहा/सिंचाई नाली की मरम्मति एवं निर्माण।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिले के असिंचित खेतों को सिंचित बनाने के लिए सिंचाई योजना का निरूपण।</li> <li>विभिन्न सिंचाई योजनाओं के काम में तेजी लाना।</li> <li>जिले में नहर प्रणाली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त/अर्धनिर्मित/अनिर्मित नहरों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उड़ाही करना।</li> <li>नहरों में सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी होने पर बारी-बारी से सभी खेतों तक आवश्यकता के अनुरूप पानी पहुँचाने की योजना बना कर रखना।</li> </ul>
5	लघु जल संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>सूखा से निपटने हेतु अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि उन्नयन योजनाएं चलायी जा रही सरकार ने शताब्दी नलकूप योजना के माध्यम से ज्यादा पटवन करने का इंतजाम किया जाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्षा जल संरक्षण को खासकर विद्यालय/घरेलू/सार्वजनिक स्थानों पर, प्रोत्साहित करना।</li> <li>झीप/स्ट्रीकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर बल/जोर देना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी नलकूपों को ऊर्जान्वित तथा कार्यकारी बनाये रखना।</li> <li>सिंचाई नहरों एवं सार्वजनिक पोखरों से गाद को हटाना।</li> </ul>
6	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना।</li> <li>हर घर नल का जल योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सूखाग्रस्त इलाके में पानी की खपत पर निगरानी रखना तथा टैंकर से जल आपूर्ति की व्यवस्था करना।</li> <li>जल स्त्रोतों की नियमित सफाई तथा इसे संक्रमण रहित बनाना।</li> <li>लाईफ लाईन भवनों यथा अस्पतालों/विद्यालयों आदि में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को अबाध्य बनाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी पेयजल स्त्रोतों यथा चापाकल, नलकूप, कुआँ के डिसइन्फेक्सन की व्यवस्था करना।</li> <li>ब्लिंचिंग पावडर की पर्याप्त व्यवस्था रखना।</li> <li>प्रति व्यक्ति कम-से-कम 40 लीटर पानी की व्यवस्था हेतु तंत्र (System) विकसित करना।</li> </ul>
7	पशुपालन	<ul style="list-style-type: none"> <li>पशुओं का ससमय टीकाकरण सुनिश्चित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पशुचारा शिविर लगाकर पर्याप्त चारे की आपूर्ति।</li> <li>कृषि अनुशासिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु डेयरी, कुकुट पालन, पशुपालन आदि को प्रोत्साहित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जानवरों के लिए सामूहिक चारा शिविर स्थल को चिन्हित करना।</li> <li>मौसम विशेष की बीमारियों से बचने हेतु पशुओं का टीकाकरण।</li> </ul>
8	समाज कल्याण (ICDS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ओ.आर.एस. पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आंगनबाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाले बच्चे, गर्भवती, दुध पिलाती माता आदि के सूची को अद्यतन करना।</li> </ul>	

9	उर्जा		<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्युत की नियमित आपूर्ति बनाए रखना।</li> <li>राजकीय नलकूप के पम्प को ऊर्जान्वित बनाये रखना।</li> </ul>	
10	ग्रामीण विकास		<ul style="list-style-type: none"> <li>मनरेगा तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित सात निश्चय योजना के तहत रोजगार मुहैया कराना।</li> </ul>	
11	स्वास्थ्य		<ul style="list-style-type: none"> <li>सूखे से जुड़ी कुपोषण एवं निर्जलीकरण जैसी बीमारियों की निगरानी करना।</li> <li>आवश्यकतानुसार ओ.आर.एस. पैकेटों का पर्याप्त मात्रा में वितरण करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना।</li> <li>फर्स्ट एड किट तैयार रखना।</li> <li>पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण।</li> </ul>
12	मौसम विभाग			<ul style="list-style-type: none"> <li>मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान की समस्य घोषणा करना तथा सम्बन्धित विभागों को इससे अवगत कराना।</li> </ul>
13	बैंक		<ul style="list-style-type: none"> <li>सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना।</li> <li>विभिन्न ऋण देने वाली एजेन्सियों के द्वारा किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने का प्रबंधन करना एवं इस आशय की लोगों को जानकारी प्रदान करना।</li> </ul>	
14	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण		<ul style="list-style-type: none"> <li>सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना, अन्त्योदय अन्न योजना को प्रोत्साहित करना एवं उचित मूल्य की दूकानों पर निगरानी रखना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति एवं रख रखाव तथा खाद्यान्न का भंडारण करना।</li> </ul>

## 6. भूकम्प

क्र०	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>रोकथाम, न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर एवं पूर्व तैयारी के संदर्भ में निर्धारित मानकों को ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित योजना में शामिल हो को, सुनिश्चित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला आपदा प्रबंधन योजना में भूकंप से जुड़ी शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण।</li> <li>प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>संरचनात्मक ढाँचों के निर्माण का विश्लेषण एवं जोखिम का आकलन।</li> <li>विश्लेषण के उपरान्त विभिन्न सहभागी दायित्वों का निर्धारण।</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाली योजनाओं में भूकम्परोधी संरचनाओं की तकनीक को शामिल कराने की पहल करना।</li> <li>क्षमताबद्धन के कार्य-पंचायती राज प्रतिनिधियों का, स्वयंसेवकों का, लाईन विभाग के लोगों का आपदा प्रबंधन योजना (ग्राम स्तरीय) में निर्धारित कार्यों का प्रशिक्षण।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>भूकम्प से संबंधित ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण कराने की पहल।</li> <li>ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दलों का गठन किए जाने को सुनिश्चित करना।</li> <li>भूकम्प से निपटने की तैयारी के मॉकड्रील का अभ्यास कराना।</li> </ul>	
2	भवन निर्माण		<ul style="list-style-type: none"> <li>भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण संहिता-2014 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग।</li> <li>बिहार आपदा जोखित न्यूनीकरण रोड मैप के अनुरूप बाढ़, भूकंप, आग, जल संरक्षण तथा चक्रवाती तृफान को ध्यान में रख कर नये भवनों का निर्माण।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पूर्व से निर्मित सभी सरकारी भवनों का, खास कर सभी अस्पताल, स्कूल एवं प्रशासनिक कार्यालय भवनों की भूकंप रोधी क्षमता का आकलन—रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग द्वारा करना।</li> <li>भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रचार-प्रसार एवं जिले में कार्यरत सभी अभियंताओं, राज-मिस्ट्री, शटरिंग-मिस्ट्री तथा बार-बाईडर का प्रशिक्षण।</li> <li>प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में अस्थायी आश्रय स्थल की खोज</li> </ul>
3	नगर निकाय		<ul style="list-style-type: none"> <li>भवन निर्माण के अधिनियम के उपबन्धो का अनुपालन करते हुए नक्शा पास करना।</li> <li>जर्जर भवनों को चिह्नित करना तथा इसके आवासीय उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>भूकंप के दृष्टिकोण से कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग कराना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>निकाय के पास उपलब्ध भारी वाहन – डोजर, डम्पर तथा क्रेन इत्यादि का समुचित मरम्मति एवं संपोषण कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना।</li> <li>आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्मित सड़कों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना।</li> </ul>
4	स्वास्थ्य विभाग (सिवील सर्जन एवं उनके अधीनस्थ अस्पताल एवं कार्यालय)		<ul style="list-style-type: none"> <li>भूकंप के दौरान घायल व्यक्तियों की त्वारित समुचित चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु नजदीक के ट्रॉमा सेन्टर, ऑर्थोपेडिक विलनिक, एम.आर.आई., एक्सरे तथा सर्जिकल सेन्टर को चिह्नित करना।</li> <li>अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।</li> <li>अस्पतालों की ‘रेट्रो फिटिंग’ का कार्य।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला स्तरीय सभावित भूकंप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।</li> <li>एम्बुलेंस को पूरी तरह सुसज्जित कर तैयार रखना।</li> <li>प्राथमिक चिकित्सकों/आशा कार्यकर्ता को सक्रिय एवं तैयार रखना।</li> <li>इन अस्पतालों में अनिवार्य जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य सहायक सामग्री का पर्याप्त भण्डारण रहना।</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>अस्पतालों में बड़ी तादाद में घायलों के उपचार हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना।</li> </ul>		
5	अग्निशमन विभाग		<ul style="list-style-type: none"> <li>खोज एवं बचाव हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण।</li> <li>भवनों में अग्नि सुरक्षा का ऑडिट सुनिश्चित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>भूकंप के दौरान घटित अग्निकांडों से निपटने के लिए अग्निशमन संयत्रों एवं वाहनों तथा प्रशिक्षित कार्यबल को सदैव तैयार तथा तत्पर रखना।</li> </ul>
6	एन.डी.आर.एफ / एस.डी.आर.एफ /रेड क्रॉस /सिविल डिफेन्स		<ul style="list-style-type: none"> <li>मॉकड्रिल के माध्यम से जनजागरूकता एवं जन प्रशिक्षण करना।</li> <li>समुदाय क्षमता निर्माण कराना तथा स्वयं भी खोज एवं बचाव के लिए तत्पर एवं तैयार रहना।</li> </ul>	
7	शिक्षा विभाग	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का भूकंप रोधी निर्माण सुनिश्चित करना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्यालयों में प्रति वर्ष भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।</li> <li>स्कूलों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने को सुनिश्चित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल के खेल मैदान को चिन्हित कर के रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन।</li> <li>जन-जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना। प्रत्येक स्कूल में भूकंप के दौरान अपने आपको सुरक्षित करने हेतु समय-समय पर मॉकड्रिल कराना।</li> <li>प्रत्येक स्कूल में भूकंप आपदा प्रत्युत्तर दल जैसे -प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, आपातकालीन अलार्म दल, निकासी दल, खोज एवं बचाव दल, इत्यादि का गठन तथा इनको नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।</li> </ul>

## 7. सड़क /रेल सुरक्षा

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना।</li> <li>हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। एन.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना।</li> <li>हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।</li> </ul>

	<p>सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं की वृहद भागीदारी सुनिश्चित करने के कार्यक्रम आयोजित करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना/संबद्धता प्रदान करना।</li> </ul>		<p>एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं की वृहद भागीदारी सुनिश्चित करने के कार्यक्रम आयोजित करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना/संबद्धता प्रदान करना।</li> </ul>
परिवहन	<ul style="list-style-type: none"> <li>● मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन।</li> <li>● वाहन चलाने के समय मोबाइल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना।</li> <li>● परिवहन विभाग, बिहार सरकार, द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2017 को निम्न आशय के निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना— <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ गाड़ियां 80 कि.मी./घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी।</li> <li>➢ सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु ‘गति नियंत्रक’ लगाने की बाध्यता होगी।</li> <li>➢ दुपहिया, तिपहिया, अग्निशमक, पुलिस यान, एम्बूलेंस, आदि को गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं होगी।</li> <li>➢ डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60 कि.मी./घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा।</li> </ul> </li> <li>● परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 24.08.2016 को निम्न आदेश के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना— <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● वाहनों की नियत समय पर फिटनेस की जाँच तथा चालकों का समय—समय पर स्वारक्ष्य एवं दृष्टि दोष की जाँच कर अनुपयुक्त वाहनों एवं अस्वस्थ चालकों को प्रतिबंधित करना।</li> <li>● सीट बेल्ट/हेलमेट का प्रयोग निश्चित रूप से हो, इसे सुनिश्चित करना।</li> <li>● सड़क सुरक्षा के संबंध में जन-जागरूकता अभियान चलाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सरकारी/गैर सरकारी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।</li> </ul>

		<p>सुदृश्य बनाने हेतु समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाइन के 'रिफ्लेक्टीव टेप' (परावर्तक टेप) लगाया जाना है। इसमें ट्रेलर भी सम्मिलित हैं।</p>	
--	--	---	--

## अध्याय 6— क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण (Capacity Building and Training)

### 6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं एवं उनसे जुड़े लोगों को भी शामिल किया जायेगा। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे जुड़े पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े पदाधिकारी, अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य लाइन विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 'बिपार्ड' में करवाया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों यथा— अनुमंडल, जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के अवधारणा परिवर्तन के पश्चात् नवजनित आयामों यथा— रोकथाम, न्यूनीकरण, त्वरित रिस्पॉन्स, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु—आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉन्स में गति आयेगी एवं किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना के सहयोग से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। प्रशिक्षित बिहार प्रशासनिक सेवा, अंचलाधिकारी, बी.डी.ओ. आदि पदाधिकारियों की सूची बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट ([www.bsdma.org](http://www.bsdma.org)) पर देखा जा सकता है।

**6.1.1 विभिन्न स्तरों के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में कार्यरत लोग एवं सामुदायिक संगठनों को आपदा विषयक मुद्दे पर बिहार या देश के अन्य राज्यों में उनके क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। इनके अलावे नीचे स्तर के कर्मचारी यथा आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., किसान सलाहकार इत्यादि भी प्रशिक्षित किये जायेंगे। क्षमतावर्द्धन संस्थागत एवं गैर संस्थागत हो सकते हैं। उपरोक्त के अलावे गैर संस्थागत में जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र में मशीनी एवं यांत्रिक सुविधा बढ़ाकर संचार व्यवस्था तथा आपदा से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर सचेत रहने में मदद पाया जा सकता है।**

### 6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित :-

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और पंचायते ही उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण होना है और इसके रिस्पॉन्स हेतु समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। चूंकि पंचायत के गाँवों और वार्ड सदस्यों को 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में देखा गया है इसलिए उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक पंचायत से दस-दस युवाओं को सामुदायिक स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ये प्रशिक्षित हो कर जिले के सभी

पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत चलाते रहेंगे। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थायें जो सामुदायिक स्तर पर काम करती हैं। उन्हें भी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस संबंध में बि. रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा तैयार, ‘मुखिया, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों एवं सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका’, भी उपलब्ध कराया गया है।

### 6.3 पेशेवर विशेषज्ञ

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अबतक राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अभियंताओं को राज मिस्ट्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण किया गया है। साथ हीं प्रशिक्षित लोगों में से ही ‘मास्टर ट्रेनर’ तैयार किये जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बढ़तने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त सभी पेशेवर लोगों की सूची विस्तार से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट ([www.bsdma.org](http://www.bsdma.org)) पर देखी जा सकती है।

भविष्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रखंड तथा पंचायत में उपलब्ध हितभागियों को तथा सहयोगी संस्थानों/व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण का विषय निम्नांकित है—

#### 6.4.1 पंचायत स्तर:

पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

**क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रस्तावित विषय:**

**पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम:**

क्र०	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) मुखिया (ख) वार्ड सदस्य (ग) सामुदायिक संगठन (घ) स्वयं सहायता समूह (ङ) सेवा निवृत आर्मी परसन, पुलिस कर्मी आदि	<ol style="list-style-type: none"> <li>पंचायत स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, तूफान, ठनका, नाव दुर्घटना आदि पर विशेष बल।</li> <li>पंचायत की विकास योजना में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन।</li> <li>आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए पंचायतस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता।</li> <li>खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि।</li> <li>आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता।</li> <li>आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी।</li> </ol>
02	स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (गैस चुल्हा, परम्परागत चुल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव।</li> <li>छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के टिप्प तथा स्कूल</li> </ol>

		3. सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण। 3. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन। (डायरिया, निमोनिया, पैयजल एवं स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिष्क ज्वर आदि से बचाव की जानकारी।
03	(क) आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका (ख) आशा कार्यकर्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
04	स्थानीय राज मिस्ट्री / शेटरींग मिस्ट्री / मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण।

**6.4.2 प्रखण्ड स्तर:** प्रखण्ड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखण्ड तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्र0	प्रखण्ड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (ख) अंचल अधिकारी (ग) राजस्व अधिकारी (घ) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (ड) प्राथमिक सहकारिता साख समिति (पैक्स) (च) कृषि सलाहकार	1. जलवायु परिवर्तन की जानकारी। 2. मौसम विज्ञान की जानकारी। 3. सूखे के आगाज की पहचान। 4. मौसमीय खेती एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। 5. पंचायत स्तर पर वर्षापात आंकड़ा का संकलन। 6. फसल सुरक्षा / बीमा की जानकारी। 7. आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं प्रचार-प्रसार।
02	(क) पंचायत सचिव (ख) विकास मित्र	1. पंचायत स्तर के विभिन्न आपदीय एवं संसाधन के आंकड़े जुटाना। 2. आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा / जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन एटलस का निर्माण। 3. लेखा संधारण।
03	ग्राम कचहरी / न्याय मित्र	गाँव के गरीब तबकों को आपदा से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला विधिक प्राधिकार के साथ सहायता दिलाने संबंधित प्रशिक्षण।
04	स्थानीय राज मिस्ट्री / शेटरींग मिस्ट्री / मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण।

**6.4.3 अनुमंडल स्तर:** अनुमंडल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमंडल तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड / अंचल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

#### अनुमंडल स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र0	अनुमंडल स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) अनुमंडल पदाधिकारी (ख) अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारीगण	1. पंचायत समिति की विकास योजना में प्रखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 2. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए प्रखण्ड स्तरीय संवेदानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 3. प्रखण्ड स्तरीय बहु-आपदा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का मानचित्रण। 4. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा अन्य किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 5. भूम्कंप रोधी भवन निर्माण संबंधी मुख्य जानकारी।

		<p>6. अनुमंडल में आने वाले प्रखंडों की मजबूती एवं कमजोरियों की पहचान।</p> <p>7. सभी प्रकार के प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, कम्प्यूटरीकरण एवं संधारण।</p>
02	(क) अंचल निरीक्षक (ख) कम्प्यूटर ऑपरेटर	नक्शे एवं आंकड़ों की आवश्यकता एवं संवेदनशील जनसंख्या के पहचान के तरीके।
03	प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य	<p>1. प्रखंड प्रमुख एवं समिति सदस्यों को लेकर प्रखंड स्तरीय स्थायी समितियों का गठन एवं इसका दायित्व।</p> <p>2. पंचायतों के आंकड़ों को प्रखंड स्तर पर समेकित कराना।</p>
04	अभियंता/स्थानीय संवेदक/स्थानीय राज मिस्त्री/शेटरींग मिस्त्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन—निर्माण का प्रशिक्षण।

**6.4.4 जिला स्तर:** जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्यरत सभी लाईन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

#### जिला स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम:

क्र0	जिला स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) अपर समाहर्ता (ख) वरीय उप समाहर्ता (ग) सभी लाईन विभाग	<p>1. आपदा प्रबंधन अधिनियम—2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार।</p> <p>2. इंसिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम।</p> <p>3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम — बहु—आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA)</p> <p>4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय।</p> <p>5. संचार माध्यम।</p> <p>6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ सम्बन्ध।</p> <p>7. नाव परिचालन रूल्स, बिल्डिंग बायलॉज, फॉयर सेफ्टी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में।</p>
02	अभियंता/स्थानीय संवेदक तथा सभी अभियंता लाईन विभाग के/राज मिस्त्री/शेटरींग मिस्त्री/मेठ एवं जिला स्तरीय संवेदक	भूकंप रोधी भवन—निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज।
<b>नगर निकाय</b>		
03	(क) कार्यपालक पदा。 (ख) सिटी मैनेजर (ग) अभियंता (घ) वार्ड पार्षद	<p>1. बिल्डिंग बायलॉज।</p> <p>2. नगर योजना।</p> <p>3. आपदा प्रबंधन।</p> <p>4. अग्नि सुरक्षा।</p> <p>5. भीड़ प्रबंधन।</p> <p>6. अवशिष्ट प्रबंधन।</p>

		7. भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।
04	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण प्रक्रिया का प्रशिक्षण।

नोट :- प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक स्तर पर तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है।

## 6.5 जागरूकता

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिह्नित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई.ई.सी. सामग्री, नुक़क़ड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवार्डजरी) जारी करेंगे।


## अध्याय 7— प्रत्युत्तर योजना (Response Planning)

आपदा की शुरूआत होने पर इससे निबटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युत्तर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में ठोस प्रत्युत्तर के संभावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपस्करो, प्रशिक्षित कर्मियों तथा समन्वित प्रयासों का, जो वास्तविकता के धरातल पर सफलता प्रदान करने वाले हो, स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्युत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा की पूर्व सूचना तथा इसकी तीव्रता तथा विस्तार का अनुमान होते ही आपदा मोचन तंत्र स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमिका अदा करने में सक्षम हो जाय, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका प्रबल हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आवश्यक गतिविधियों तथा उनके प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पुनर्वापसी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई चूक न हो जाये।

### 7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया

आपदा प्रत्युत्तर से सम्बन्धित कार्यों के संचालन की पूर्ण जबाबदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं आपदा के नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्यरत होते हैं। घटना/हादसा से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैरे जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात् घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी को देकर ही घटना/हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

#### घटना कमाण्ड आफिसर—पदेन जिलाधिकारी



आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्ता को हादसा कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम् तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि अन्य वरीय समाहर्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

### **7.1.1 घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्वः**

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अंतर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान—प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरुस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगों के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरतमन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी को स्थिति का जायजा लेने हेतु, आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,
- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के वक्त समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई की जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

**7.1.2 जिले में हितधारक एवं इनकी कार्ययोजना:** हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है—सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

- सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती हैं। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए हैं।
- समुदाय आधारित समूह:** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबावदेह होते हैं जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते हैं। चुंकि, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित शहरी निकायों के प्रतिनिधि आपदा की रोकथाम के विभिन्न चरणों में सहयोगी हो सकते हैं।
- स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन:** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेत रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इंटर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं हैं तथा सीधे जिले के सम्पर्क में हैं।

व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते हैं। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाएँ उनका सामाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारकों का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते हैं, अतः वे इनके सम्पर्क में होते हैं। इनसे आपदा न्यूनीकरण के साथ—साथ आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्स्थापन का प्रयास करती हैं। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते हैं, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते हैं। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते हैं।

हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाएँ तथा इसे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होनी चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते हैं।

## 7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य

उपरोक्त कथन के आलोक में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते हैं :—

- पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगों को अवगत कराया जायेगा।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
- आपात्कालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना स्वयं से प्रयास कर आपात्कालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।
- यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।
- यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी.डी.एम.सी.), आपात्कालीन समर्थक कार्य (इ.एस.एफ.) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (इ.ओ.सी.) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।
- आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमांड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।
- प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपात्कालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।
- सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा। Slow Onset में आपदा की शुरूआत (यथा सूखा, कीट संक्रमण, रोग महामारी आदि) धीमी गति से होता है परंतु उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। Fast Onset में आपदा (यथा फ्लैश फलड, भूकंप आदि) का आगमन अचानक होता है और उसमें तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अंतर्गत –
  - आपात्कालीन संचालन केन्द्र, राहत दल को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के राहत दल को तुरंत ही सक्रिय करना साथ ही ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।
  - आपात्कालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
  - आपात्कालीन संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
  - सूचनाओं का प्रवाह नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
  - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

- आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरातः
  - प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपातकालीन संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
  - यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :— जिला के वरीय उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, आपातकालीन संचालन केन्द्र, आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।
- इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेंगे ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर की एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामग्रियाँ प्राप्त की जायेंगी जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्ति की जायेगी।
- सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेन्सियाँ उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौंपेंगी।
- **प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :**
  - इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियों को दूर किया जा सके।
  - कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
  - हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड पदाधिकारी आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
  - प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
  - अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

### 7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक

सामान्यतः सभी आपदाओं के प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक निम्नांकित होंगे :—

1. संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System)।
2. कार्यों का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination)।
3. खोज, बचाव, राहत कार्य (Search, Rescue & Relief operation)।
4. चिकित्सीय प्रत्युत्तर (Medical Response)।
5. शव तथा मलवा का निपटान (Disposal of Dead Bodies & Debris)।

6. क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages and Losses)।
7. रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement)।
8. राहत शिविरों का संचालन (Relief Camp Operations)।
9. सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management)।
10. मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination)।

आपदाओं के दौरान प्रत्युत्तर कार्य के उपरोक्त सभी प्रमुख घटकों का उद्देश्य, उसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि संचालन का दायित्व तथा उसको प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पूरा करने में व्यतीत होने वाले समय की विवेचना नीचे की सारणी में विस्तार से दर्शाया गया है।

### 7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण</li> <li>➤ जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र / राज्य आपातकालीन केन्द्र</li> <li>➤ जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग।</li> <li>➤ दूरसंचार निगम,</li> <li>➤ आकाशवाणी,</li> <li>➤ दूरदर्शन,</li> <li>➤ पुलिस वायरलेस,</li> <li>➤ हैम रेडियो,</li> <li>➤ एच.एफ. / भी.एच.एफ.</li> <li>➤ मोबाइल सेवा प्रदाता / दूरभाष</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात, भीड़— भगदड़, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना।</li> <li>➤ संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन।</li> <li>➤ अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय।</li> <li>➤ मौसम विभाग से संपर्क।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।</li> </ul>
	बाढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुँचाना।</li> <li>● तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना।</li> <li>● क्षतिग्रस्त संपर्क पथों को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य।</li> <li>● बाढ़ के कारण उप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन।</li> <li>● वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● अग्निशमन सेवा</li> <li>● पुलिस</li> <li>● पंचायत</li> </ul>	अग्नि	<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु</li> </ul>	

आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग	सूखा	प्रयत्न करना। मानसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	
---------------------------------	------	---	--

### 7.3.2 कार्यों का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :—

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन, चक्रवात, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	<ul style="list-style-type: none"> <li>आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24x7 कार्य करने वाले)।</li> <li>जिला आपात्कालीन सेवा कार्य तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/ नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना।</li> <li>आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया को सक्रिय करना।</li> <li>नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना।</li> </ul>	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।
अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी।	बाढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>हवाई सर्वेक्षण, फुड पैकेट गिराना, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु एयरफोर्स का हवाई जहाज/ हेलीकॉप्टर की माँग।</li> <li>हेलीकॉप्टर से फुड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने की कार्रवाई का समन्वय एवं अनुश्रवण।</li> <li>बाढ़ आपदा के संबंध में मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई।</li> <li>राहत एवं बचाव कार्यों का जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी।</li> <li>बाढ़ की गंभीरता का आकलन।</li> <li>बाढ़ क्षति का प्रारंभिक आकलन।</li> <li>राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग।</li> <li>सेना की माँग।</li> </ul>	
	भूकंप	<ul style="list-style-type: none"> <li>भूकंप की गंभीरता का आकलन।</li> <li>भूकंप क्षति का प्रारंभिक आकलन।</li> <li>राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग।</li> <li>सेना की माँग।</li> </ul>	
● जिलाधिकारी। ● पुलिस।	अग्नि	<ul style="list-style-type: none"> <li>भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर</li> </ul>	

		<p>सहाय्य कार्य को निर्देशित करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कंट्रोल रूम को चालू रखना।</li> <li>• अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ को दूर रखना।</li> <li>• डिवाईडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को निर्बाध (unhindered) जारी रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स/जिला कृषि कार्यालय</li> <li>• आपदा प्रबंधन विभाग</li> </ul>	सूखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुश्रवण।</li> <li>• सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।</li> </ul>	

### 7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation ) :—

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• जिला प्रशासन,</li> <li>• अंचलाधिकारी,</li> <li>• अग्निशमन दल,</li> <li>• नागरिक सुरक्षा समिति,</li> <li>• पुलिस,</li> <li>• होमगार्ड</li> <li>• राज्य आपदा मोचन दल,</li> <li>• राष्ट्रीय आपदा मोचन दल,</li> <li>• लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,</li> <li>• स्वयंसेवी संगठन</li> </ul>	भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़—भगदड़	<ul style="list-style-type: none"> <li>• खोज एवं निष्क्रमण करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना।</li> <li>• खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना।</li> <li>• जिनका निष्क्रमण संभव न हो उनकी जीवन रक्षा के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना।</li> <li>• अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। राहत शिविरों में रहने खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना।</li> <li>• बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव—नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट)</li> </ul>	आपदा घटित होने के तुरंत बाद से आपदा की समाप्ति तक।

		<ul style="list-style-type: none"> <li>बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरों तक स्थानान्तरण। राहत केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन</li> <li>बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पॉलीथीन शीट का वितरण।</li> <li>राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध।</li> <li>तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन)</li> <li>एस.डी.ओ. / अंचलाधिकारी</li> <li>फायर ब्रिगेड</li> </ul>	अग्नि	<ul style="list-style-type: none"> <li>राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना।</li> <li>मृतक एवं घायलों को अनुदान प्रदान करना।</li> <li>अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य।</li> <li>सहायता केन्द्र स्थापित करना।</li> <li>क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना।</li> <li>अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना।</li> </ul>	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि विभाग</li> <li>आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग</li> <li>सहकारिता विभाग</li> <li>वित्त विभाग / कृषि विभाग</li> <li>सहकारिता विभाग</li> <li>पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग</li> <li>समाज कल्याण विभाग</li> <li>शिक्षा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</li> <li>ग्रामीण विकास विभाग</li> <li>आपदा प्रबंधन विभाग</li> </ul>	सूखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन।</li> <li>फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण।</li> <li>सिचाई हेतु डीजल अनुदान देना।</li> <li>फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान।</li> <li>किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण।</li> <li>बैंक ऋणों का पुनर्निधारण।</li> <li>पशु संसाधन की देखभाल</li> <li>सामाजिक सुरक्षा</li> <li>मध्याहन भोजन की व्यवस्था</li> <li>रोजगार सृजन।</li> <li>मुफ्त सहायता।</li> </ul>	

### 7.3.4 चिकित्सा प्रत्युत्तर (Medical Response) :-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला स्वास्थ्य समिति,</li> <li>रेड क्रास सोसाईटी,</li> <li>निजी नर्सिंग होम,</li> <li>स्वयंसेवी संगठन</li> <li>जिला पशुपालन पदाधिकारी</li> </ul>	भूकंप, बाढ़, अग्नि, सड़क, रेल दुर्घटना, पानी में डुबने, नाव दुर्घटना, भीड़-भगदड़	<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सा कर्मियों तथा पारामेडिकल कर्मियों को आवश्यक उपकरणों, मोबाइल चिकित्सा वाहन तथा दवा के साथ राहत शिविरों में नियोजन।</li> <li>घायलों, बीमारों की चिकित्सा तथा गंभीर रूप से घायलों को एबुलेस से बड़े अस्पतालों में स्थानान्तरित करना।</li> <li>महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता एवं सफाई तथा टीकाकरण की व्यवस्था करना।</li> <li>नजदीकी ब्लड बैंक/ब्लड डोनर से संपर्क कर खून की कमी वाले घायलों की प्राण रक्षा की व्यवस्था करना।</li> </ul>	आपदा घटित होने के तुरंत बाद से आपदा की समाप्ति तक।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं मोबाइल मेडिकल टीम।	बाढ़, भूकंप	<ul style="list-style-type: none"> <li>महिलाओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की देखभाल हेतु आयरन की गोली, सेनेटरी नैपकीन का वितरण, कुआँ/चापाकल में हैलोजन गोली डालने का कार्य, सॉप काटने की चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना।</li> <li>जल जनित रोग से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा एवं टीकाकरण।</li> <li>गर्भवती माताओं/धातृ महिलाओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के साथ शरणस्थल/राहत शिविरों में प्रसव होने की स्थिति में जच्चा-बच्चा का स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु का टीकाकरण, धातृ महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था।</li> </ul>	
सिविल सर्जन	अग्नि	<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सक के दल को संदेश देकर तैयार रखना।</li> <li>अस्पताल में शय्या उपलब्ध कराना।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य विभाग</li> <li>समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग</li> </ul>	सूखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य सेवाएँ।</li> <li>महामारी की रोकथाम।</li> <li>महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल।</li> </ul>	

### 7.3.5 शव एवं मलवा निपटान (Disposal of Dead Bodies & Debris) :—

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पुलिस</li> <li>जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी।</li> </ul>	बाढ़, भूकंप	<ul style="list-style-type: none"> <li>शवों का फोटो रखना।</li> <li>मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौंपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान।</li> <li>आपदा के कारण मृत पशुओं के शवों का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान।</li> </ul>	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
<ul style="list-style-type: none"> <li>नगर निकाय</li> <li>ग्राम पंचायत</li> <li>पुलिस प्रशासन</li> <li>रेड क्रॉस सोसाईटी</li> <li>स्वयंसेवी संगठन</li> <li>जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी</li> </ul>	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल-पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।

### 7.3.6 क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages & Losses) :—

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला प्रशासन</li> <li>जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी)</li> <li>जिला पुलिस बल</li> <li>भवन निर्माण संभाग</li> <li>पथ निर्माण संभाग</li> <li>जल संसाधन प्रमंडल</li> <li>लघु जल संसाधन प्रमंडल</li> <li>पावर होल्डिंग कम्पनी</li> <li>पशु पालन संभाग</li> <li>कृषि विभाग</li> <li>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल</li> </ul>	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	<ul style="list-style-type: none"> <li>आपदा के कारण मृत / घायलों की सूची तैयार करना।</li> <li>क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तथा क्षति का व्योरा संकलन।</li> <li>क्षतिग्रस्त सड़क, पुल- पुलिया, नहर बाँध का व्योरा संकलित करना।</li> <li>क्षतिग्रस्त विद्युत संचार संरचना का विवरण संकलित करना।</li> <li>पशुधन क्षति / फसल क्षति का व्योरा एकत्रित करना।</li> <li>तटबंधों में रिसाव व टूट की आकलन एवं मरम्मति।</li> <li>बाढ़ से क्षतिग्रस्त चापाकलों की मरम्मति।</li> <li>कृषि क्षति का आकलन करना।</li> <li>मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदर के अनुसार अनुदान का वितरण।</li> </ul>	स्थिति सामान्य होने तथा विश्लेषण के उपरांत।

### 7.3.7 रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) :-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला प्रशासन</li> <li>खाद्य एंव आपूर्ति संभाग</li> <li>अंचल / प्रखण्ड कार्यालय</li> <li>स्वयंसेवी संगठन</li> <li>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल</li> <li>फायर ब्रिगेड</li> <li>सिविल सर्जन</li> </ul>	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना एवं आदि	<ul style="list-style-type: none"> <li>राहत शिविरों में तथा खतरों से धिरे लोगों तक रसद पहुँचाने के लिए प्रर्याप्त मात्रा में रसद-पानी का संग्रहण करना।</li> <li>राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई की स्थापना तथा भोजन पकाने एवं वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।</li> <li>राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराना।</li> <li>अग्निशमन गाड़ियाँ चालू हालत में रखना।</li> <li>अग्निशमन दल में प्रशिक्षित कर्मी का होना।</li> <li>अग्निकांड स्थल पर एम्बुलेन्स भेजना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य स्थिति बहाल होने तक।</li> <li>अनिवार्यता का आकलन करने के पश्चात्।</li> </ul>

### 7.3.8 राहत कार्य (Relief Work) :-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>जिलाधिकारी</li> <li>आपदा प्रबंधन प्रभाग</li> <li>जिला आपदा संचालन केन्द्र</li> <li>गृह/पुलिस</li> <li>आपूर्ति संभाग</li> <li>सहकारिता संभाग</li> <li>रेड क्रॉस सोसाईटी</li> <li>नागरिक सुरक्षा</li> <li>जिला नागरिक परिषद्</li> <li>एन.सी.सी./स्काउट गार्ड</li> <li>स्वयंसेवी संस्थाएँ (प्रशासन से आज्ञा लेकर)</li> </ul>	बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थल पर राहत शिविर लगाना</li> <li>निर्मानिकार्ता केन्द्रों का निर्माण— <ul style="list-style-type: none"> <li>राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र</li> <li>सामग्रियों का पैकेजिंग केन्द्र</li> <li>राहत सामग्री पैकेटों का सुरक्षित भंडारण एवं वितरण केन्द्र</li> <li>स्वयंसेवक आवासन केन्द्र</li> </ul> </li> <li>राहत सामग्री संकलन केन्द्र पर प्राप्ति रसीद की व्यवस्था कर रखना।</li> <li>राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र में मानक के अनुरूप सामग्रियाँ प्राप्त करना।</li> <li>पैकेट/बंडल की तैयारी कराना तथा इन्हें भंडारित करना।</li> <li>राहत सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई और किसे ये सामग्रियाँ दी गयी, इस बात का दस्तावेज तैयार कर रखना।</li> <li>वितरण एवं अन्य कार्यों में स्वयंसेवकों को लगाना तथा उनकी आधारभूत जरूरतों यथा भोजन एवं</li> </ul>	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।


सुरक्षा की व्यवस्था करना।			
<ul style="list-style-type: none"> <li>जिलाधिकारी</li> <li>विकास आयुक्त</li> <li>अंचल / प्रखंड कार्यालय</li> <li>शिक्षा संभाग</li> <li>कल्याण विभाग (आई.सी.डी.एस.)</li> </ul>	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>राहत शिविरों में आपदा प्रभावित लोगों के पहुँचने पर उनका विवरण रजिस्टर में संधारित करना।</li> <li>सहाय्य सामग्रियों का भंडारण पंजीकरण, पैकेट निर्माण तथा वितरण सुव्यस्थित ढंग से करना।</li> <li>स्थिति सामान्य होने पर राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचने की व्यवस्था करना।</li> <li>महिलाओं, वृद्ध तथा बच्चों को चिह्नित करना।</li> </ul>	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

### 7.3.10 मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) :—


उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय</li> <li>मिडिया-प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक</li> <li>सोशल मिडिया (जिला व्हाट्स एप ग्रुप</li> <li>एन.सी.सी. / नहरु युवा केन्द्र / एन.एस. एस.</li> <li>स्वयंसेवी संस्थाएँ</li> </ul>	बाढ़, भूकंप, भीषण अग्निकांड, बड़ी सड़क दुर्घटना एवं अन्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>आपदा के दौरान एलर्ट मैसेज भेजना।</li> <li>वरीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित समय में मिडिया ब्रीफिंग करना।</li> <li>मिडिया से सूचना प्राप्त करना।</li> <li>अफवाहों का रेडियो, टेलीविजन, जिला व्हाट्स एप के माध्यम से खंडन संदेश भेजना।</li> <li>मृत, घायल, लापता एवं अन्य की सूची जारी करना।</li> <li>राज्य स्तर के मिडिया का सहयोग प्राप्त करना।</li> <li>टॉलफ्री सूचना केन्द्र को प्रचारित करना।</li> <li>सूचना को प्रचारित करने हेतु एन.सी.सी., नेहरु युवा केन्द्र आदि का सहयोग लेना।</li> </ul>	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

- क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या, जनहानि, पशुहानि तथा संरचनात्मक ढांचे के साथ फसल, बाग-बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
- पीड़ितों को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।


## 7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र



## आदेश प्रवाह फ्लो चार्ट एल 2 लेवल डिजास्टर (0 से 6 घंटे)



## घटना प्रत्युत्तर फलो चार्ट एल 2 लेवल डिजास्टर (6 घंटे के पश्चात)



## अध्याय 8—पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति

### (Reconstruction, Rehabilitation and Recovery)

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण एवं रिकवरी एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य आपदा से प्रभावित लोगों के मकान का पुनर्निर्माण, सामुदायिक सुविधा, आधारभूत संरचनाओं की पूर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी को कायम रखने की नीति पर आधारित जीविका समर्थन आदि तैयार किया जाना। विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद सभी प्रकार की रिकवरी के लिए पुनर्निर्माण के साथ-साथ पुनर्वास को अपनाने की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। आपदा प्रभावित क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर “पूर्व से बेहतर निर्माण” की कार्रवाई/गतिविधियां अपनायी जायेंगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं रिकवरी के निम्न उद्देश्य होंगे—

- भविष्य में आपदाओं को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना निर्माण में, सहयोग प्रदान करना
- प्रभावित क्षेत्रों की सार्वजनिक/निजी परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप करना;
- राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार उपयुक्त प्रावैधिकी के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के घरों तथा सार्वजनिक भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण करना जिसमें भवन निर्माण तथा रेट्रो फिटिंग भी शामिल हैं।
- आपदा के लिए प्रभावकारी ढंग से प्रत्युत्तर (Response) एवं विकास प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित कर परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं। तात्कालिक गतिविधियों में क्षतिग्रस्त ढांचों के सुधार, मरम्मत तथा मजबूती से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं, जबकि दीर्घकालिक निर्माणात्मक गतिविधियों में बहु-खतरा लचीला आवास निर्माण, स्थानान्तरण, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान आदि के साथ ही मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय एवं कृषिगत पुनर्वास सम्मिलित हैं।

पुनर्निर्माण चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तत्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तत्कालीन क्रिया-कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ ही संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा। इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति के अन्तर्गत आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसों से उबरने में सफल हो सके।

#### 8.1 क्षति आकलन

आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या—3601 दिनांक—30.09.2014 के अनुसार “प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान

स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच 'शक्ति' की जिम्मेवारी अधीनस्थ सक्षम अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतः—संरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एवं विकास कार्यों से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है।

#### (क) स्थिति का आकलन

#### (ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरपाई टिकाऊ विकास कार्यों द्वारा की जानी चाहिये। आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख हैं –

- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्तियों का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओं की क्षति
- फसल क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो—सामाजिक संघात
- मनुष्यों, पशुओं एवं कृषिगत फसलों में बीमारी

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	2	3	4
1	मानव क्षति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● मृतकों के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियों को सौंपना।</li> <li>● अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान।</li> <li>● लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।</li> </ul>	समुदाय, ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	<ul style="list-style-type: none"> <li>● घायलों को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना।</li> <li>● घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।</li> </ul>	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	आपदा के उपरांत सरकारी भवनों में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता करेंगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे।	भवन निर्माण प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत /	संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे।	संबंधित विभाग

	पुनर्निर्माण,		
5	निजी मकान	निजी मकानों को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का व्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी
6	कृषि/ पशु संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा, रकबा एवं भू—मालिकों के व्योरा का संकलन।</li> <li>पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्यांकन करना।</li> </ul>	जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बीमा कम्पनी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी।</li> <li>आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए।</li> </ul>	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति

## 8.2 पीड़ितों को राहत

भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय—समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये हैं इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस.डी.आर.एफ. एवं एन.डी.आर.एफ.) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंडों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत दिशा—निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।
- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना, नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित दुर्घटना यथा—सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।

### 8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन

आधारभूत संरचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क सम्पर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे।

### 8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण

बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैनिक कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो यथा उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

**अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति / पुनर्निर्माण:** अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

**जीविका का पुनर्स्थापन:** आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत् स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

**स्वास्थ्य सेवायें एवं सुविधाओं का पुनर्स्थापन:** आपदा के चपेट में आने से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी-कभी इन हादसों के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम-काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो-सामाजिक संघातों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

**दीर्घकालिक पुनर्वाप्सी:** बहु-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यों से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वाप्सी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

## अध्याय 9— बजट एवं वित्तीय संसाधन

### (Budget and Financial Resources)

आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष का सर्वाधिक महत्व होता है, अतः इसको भी ध्यान में रखते हुए समस्त योजना तैयार की जाती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। आपदा प्रबन्धन योजना हेतु निम्नांकित वित्तीय प्रबन्धों का प्रावधान किया गया है—

#### 9.1 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पॉन्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 (1) एवं धारा 48 (1) के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं 323/2010-एनडीएम-1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पॉन्स फण्ड का गठन किया। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया।

#### 9.2 राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

13 वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

#### 9.3 क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा प्रत्युत्तर को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति रिस्पॉन्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

#### 9.4 प्रधानमंत्री राहत कोष

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि बैंकों में जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।

सामान्यतः, धनराशि या तो तत्काल वितरित कर दी जाती है अथवा उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियत कर दिया जाता है। शेषधन राशि को दीर्घावधि तक सुरक्षित रखने के लिए समुचित रूप से उसका निवेश किया जाता है। अधिकतम सुरक्षित धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की राशि का निवेश बैंकों में आवधिक जमा योजनाओं में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं—

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु।

- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु।
- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख-भाल पहुंचाने हेतु।
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ-सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु।
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

## 9.5 मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष स्थापित है। जिसमें विभिन्न माध्यमों से अर्थात् शासकीय, अशासकीय व्यक्ति अथवा संस्था या कार्यालय द्वारा दी गई दान स्वरूप राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाती है। इस कोष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेक के अनुसार बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा या अन्य विपत्तियों से ग्रस्त या औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटनाओं के शिकार या उक्त पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं साधनहीन ऐसे लोगों को भी जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक प्रतीत होता है, इस कोष से सहायता दी जाती है। यह दान राशि नगद, मनीआर्डर, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी प्राप्त होती है। यह सहायता प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के लोगों को सीधे अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती है।

## 9.6 सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद रु0 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च कर सकता है।

## 9.7 अधिनियम में प्रावधान :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा-48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा-48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिसूचनाओं के जारी किये जाने के ठीक पश्चात्, निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"— (ख) जिला आपदा मोर्चन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा-48(2) में वर्णन है कि उपधारा-(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध हैं।

## 9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ/कार्यक्रम

विभिन्न प्रकार की आमजन योजनाओं जैसे मनरेगा आदि के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इन योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। आपदा से प्रभावितों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक दूसरी प्रभावी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य हेतु रेखांकित होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मीड-डे-मिल एक ऐसी ही योजना है। बाढ़ एवं सूखाड़ दोनों परिस्थितियों के भूखमरी से प्रभावित लक्षित वर्ग के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रावधान है। विशेषकर बंटाईदार किसानों के लिए बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015 से जुड़ाव किया जा सकता है।

## 9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम

क्र. सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाले विभाग/संभाग/एजेंसी
1	2	3	4
1	कृषि रोड मैप	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	मनरेगा	<ul style="list-style-type: none"> <li>● पंचायत स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुनर्निर्माण, पुनरुत्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते हैं।</li> <li>● सामाजिक वानिकी।</li> </ul>	ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण एवं वन
3	सात निश्चय कार्यक्रम	गली—नाली की स्थापना एवं हर घर नल का जल अंतर्गत पाईप से पानी की आपूर्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	शताब्दी अन्न कलश योजना— 2011	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आपूर्ति)
7	बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	दीनदयाल अंत्योदय योजना – जीविका	महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगों को संबल बनाना।	ग्रामीण विकास विभाग (रुरल लाईवलीहुड मिशन)
9	आंगनवाड़ी	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण विभाग—आई. सी.डी.एस.
10	लोहिया स्वच्छ बिहार योजना	इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सामूहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार्य सुनिश्चित करने हेतु समुदाय स्तर पर प्रयत्न।	ग्रामीण विकास विभाग

11	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता
12	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
13	मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	सर्व शिक्षा अभियान	स्कूल तथा उसमें शौचालय एवं चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
15	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
16	जननी सुरक्षा	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
17	मिड-डे-मील योजना	स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।	मिड-डे-मील जिला कार्यक्रम
18	प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
19	सांसद आदर्श ग्राम योजना	सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र के 3 गाँव को 2019 तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना तथा 5 गाँवों का 2024 तक विकसित करना।	ग्रामीण विकास विभाग
20	सड़क सुरक्षा निधि	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
21	चौदहवी वित्त आयोग(2015–20)	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन विभाग
22	पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज/नगर पालिका
23	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

### 9.3 अन्य स्त्रोत

इसके अलावा जिला में किसी आपदा के समय प्रभावित समुदाय के सहायता हेतु अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थायें अपनी स्वेच्छा से आती हैं। ये आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अपनी—अपनी सुविधाओं के अनुसार समुदायिक क्षमता विकास एवं डिजास्टर रेजिलिएन्स प्रक्रिया विकसित करने हेतु बहुतायत परियोजनायें संचालित करती हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत से पुनर्स्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है।

## अध्याय 10— अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण (Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP)

### **10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन**

योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्व कार्रवाई की जायेगी

#### **10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :—**

31 (4) — जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायेगा।

31 (5) — उपधारा(2) और उपधारा(4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

31 (6) — जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31 (7) — जिला प्राधिकरण समय—समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 — जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये—

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगे और उसे अद्यतन (Update) करेंगे।

**10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकनः—** अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती हैं। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनर्प्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनों तरह के प्रयासों की विवेचना की जानी चाहिये। इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

**10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना की प्रभावशीलता की जाँचः—** प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनर्प्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यों में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुये हैं। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दोहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय

उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते हैं या आपदा की विभिन्निका को घटाने की बजाय बढ़ा देते हैं तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

**10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना** :- जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र-छात्रा तथा शिक्षक-प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियों/स्वयंसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यों में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय-समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत्त होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते हैं। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अद्यतन करना जरूरी है।

**10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच**:- योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापूर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृत्ति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गारंटी सुनिश्चित करता है।

**10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण** :- जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

**10.1.7 योजना का अद्यतनीकरण (Updation of Plan)** :- जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासों की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमें लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

**10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation)** :- सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत जारी रखा जायेगा। पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।